

मानव जीवन विकास समिति वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014-15



ग्राम बिजौरी पोस्ट मझगवां जिला कटनी म.प्र.
फोन नं. 07626-275223, 275232
E-mail: mjvskatni@gmail.com
website. www.mjvs.org.in

अनुक्रमणिका

क्रं.	विषय	पृष्ठ क्रं.
1.	दो शब्द / आभार	3
2.	संस्था का परिचय	3-4
3.	पृष्ठभूमि, विजन एवं मिशन	5
4.	उद्देश्य	6
5.	समिति के दस स्तम्भ	6-7
6.	कार्यक्षेत्र	7
7.	समिति की प्रमुख गतिविधियाँ – <ul style="list-style-type: none">● महाकौषल – संगठनात्मक, पदयात्रा, कपड़ा● द हंगर प्रोजेक्ट – महिला नेतृत्व प्रशिक्षण● नवांकुर – 1. स्वास्थ्य, 2. शिक्षा, 3. पर्यावरण संरक्षण, 4. जल संरक्षण, 5. ऊर्जा संरक्षण, 6. नषामुक्ति, 7. समग्र स्वच्छता एवं साफ सफाई, 8. कुपोषण एवं परिवार नियोजन, 9. हरियाली एवं कृषि● डाबर – मधुमक्खी, जड़ीबूटी, नर्सरी● एन.सी.व्ही.टी. प्रशिक्षण● प्रदर्शनी – तिल्दा, मुम्बई● आपातकालीन सहायता – शैक्षणिक फण्ड, बिमारी सहायता● कृषि विकास – सेंटर, सन्नई, चीलघाट● रूरल टूरिज्म प्रोग्राम – टूरिस्ट, गांव विकास● स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम● नषामुक्ति कार्यक्रम●	8-28
8.	समिति की अन्य गतिविधियाँ	29-30

1. दो शब्द

एक छोटे से गांव बिजौरी मझगवां से अपने काम को धीरे-धीरे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में मानव जीवन विकास समिति आगे बढ़ रही है। ग्रामीण का सहयोग, कटनी शहर में रहने वाले बुद्धिजीवी, मीडिया बन्धु, नेता, राजनेता, व्यापारी वर्ग, समाजसेवी संस्थाओं का जो ताकत व सहयोग दिया है और दे रहे हैं। इससे समिति को अपने कार्य को बढ़ाने व मजबूत करने में ताकत मिलती है।

परम्परागत खेती किसानों, पंचायत राज में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों व नव जवान साथियों के साथ मिलकर कौशल विकास कार्यक्रम चलाने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का सही प्रबंधन के साथ लोगों को अपने पैरों में खड़ा होने लायक माहौल व साधन उपलब्ध कराना, जिसमें जड़ी-बूटी का संग्रह व संवर्धन तथा मधुमक्खी पालन जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता के साथ करना इसके अलावा महाकौशल क्षेत्र में बैगाओं के लिए मषहूर बैगा कपड़े को बाजार उपलब्ध कराना तथा इस काम में लगे पनिका समाज को इस हेतु प्रेरित करना भी प्रमुख रूप से समिति कार्य कर रही है।

अपने सीमित संसाधनों व ग्रामीण नव जवान साथियों की एक कुशल टीम के द्वारा सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो इस हेतु प्रयासरत है। ट्रेनिंग सेंटर में लोगों के आने जाने अतिथियों का विशेष ध्यान देते हुए गरीमा प्रोजेक्ट के नाम से रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने में भी अग्रसर है।

2. संस्था का परिचय :-

महाकौशल अंचल के पिछड़ी जनजाति बैगा एवं अन्य समुदाय के जीवन व भोजन के लिए परियोजना के उद्देश्य से भूमि आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने हेतु परियोजना का संचालन द्वारा संचालित किया गया है। समुदाय के मध्य जीविकोपार्जन के संसाधन जल, जंगल और जमीन पर लोगों के परम्परागत अधिकार की पुनर्स्थापना के जमीनी स्तर पर प्रेरक कार्यों को मजबूत बनाने के लिए व्यापक रूप से शासन एवं प्रशासन स्तर में दबाव बनाने हेतु रचनात्मक कार्य करने का मुख्य उद्देश्य रहा है वनाधिकार अधिनियम को कार्यक्षेत्र में लागू कराने हेतु पंचायत प्रतिनिधि एवं प्रशासन के साथ संवाद स्थापित कर दबाव बनाना एवं साथ ही नेतृत्व क्षमता का विकास करने हेतु समय-समय पर प्रशिक्षण एवं सम्मेलन, एक्सपोजर विजिट जैसे कार्यक्रम का आयोजन करना तथा समुदाय के अर्थव्यवस्था को विकसित करने हेतु स्वसहायता समूह, परस्पर सहयोग समूह को बैंक से जोड़कर बैंको से सहायता प्राप्त कर आर्थिक कार्यक्रम चलाना भूमि सुधार, जलसंरक्षण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनः संरचना परियोजना आधारित कार्य दस्तावेजीकरण एवं जनवकालत कार्यक्रम संचालित कर समुदाय के जीवन स्तर को सुदृढ़ बनाने के लिये कार्यक्षेत्र में जमीनी स्तर पर प्रेरक के रूप में कार्य किया गया है।

ट्रेनिंग सेंटर :- संस्था के पास 30 एकड़ भूमि है। इसी भूमि पर संस्था का कार्यालय 2 कमरों पर है, प्रशिक्षण हाल है जिसमें लगभग 200 लोगों को बैठाकर प्रशिक्षण दिया जा सकता है, एक छोटा प्रशिक्षण हाल है जिसमें 30 लोगों को बैठका प्रशिक्षण दिया जा सकता है, अतिथि भवन जिसमें 4 कमरे अटैच हैं, आवासीय भवन 2 बड़े हाल हैं जिसमें 100 लोगों को रूकाया जा सकता है एवं 5 छोटे कमरे जिसमें 50 लोगों को रूकाया जा सकता है, किचिन के बाजू से टीन सेड बना है जिसमें 200 से 250 लोगों को बैठाकर भोजन कराया जा सकता है तथा किचिन कक्ष भी उपलब्ध है, स्टॉफ रूम तथा महिला रूम अलग से है।



मानव जीवन विकास समिति मे उपलब्ध सुविधायें

क	साधन	संख्या	संसाधन	विवरण
1	आवासीय	1	हाल 60X20 फीट	150 लोगों के बैठने की क्षमता दरी बिछाकर
		2	गेस्ट रूम	2 रूम अटैच 4 लोगों की क्षमता
		3	कमरा	7 रूम एक कमरे मे 17 लोगों की क्षमता
		4	डेमोटरी महिला	20 लोगों की क्षमता अटैच
		5	डेमोटरी पुरुष	20 लोगों की क्षमता अटैच
		6	लैट्रिंग बाथरूम	अटैच कमरों को छोड़कर बाहर
				लैट्रिंग रूम-8, बाथरूम-8
		7	ज्ञानमंदिर	10 लोगों की सोने की क्षमता व 20 लोगों की बैठक व्यवस्था
8	एलवेस्टर सेड	30 बाई 60 फिट		
2	आवसीय व्यवस्था	1	गद्दा रजाई सेट	150 नग
		2	सिनटेक्स टंकियां	5 नग
		3	ट्यूबवैल	1 नग
		4	कुंआ	2 नग मोटर सेट के साथ
		5	जनरेटर	1 नग
		6	दरी	15 नग छोटी बड़ी सहित
3	भोजन व्यवस्था		खाना बनाने, बर्तन के साथ परछाई मे बैठकर खाने की सुविधा 150 लोगों के	
4	आफिस सेक्टर	1	डिस्कटॉप कम्प्यूटर	6
		2	प्रिंटर	2
		3	लैपटॉप	2
		4	स्कैनर	1
		5	टेबिल कुर्सी	10 सेट
		6	अलमारी	4 नग
		7	इंटरनेट सुविधा	
		8	इनवर्टर सुविधा	
		9	कुर्सी फाईवर	26
		10	कुर्सी तांत वाली (बुनाई वाली)	7
		11	कुर्सी लोहे वाली	1
		12	कुर्सी लकड़ी वाली	2
		13	कुर्सी व्हील	2
		14	कुर्सी कम्प्यूटर वाली	3
		15	BSNL&AIRTEL मोबाईल की कनेक्टिविटी	उपलब्ध
5	आवागमन के साधन	1	मोटर साईकिल	2
		2	साईकिल	6
		3	टेम्पोट्रेवल्स	1
		4	ट्रेक्टर ट्राली सहित	1

3. पृष्ठभूमि –

मध्य प्रदेश की उत्तरी पूर्वी दिशा में जबलपुर सम्भाग का कटनी जिला बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड या महाकौषल क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जिले का प्रमुख भाग सोन तथा महानदी के कछार में है। टमस नदी का उद्गम स्थल कैमोर की पहाड़ियों तथा विध्यांचल की पहाड़ियों से घिरा यह क्षेत्र शुष्क पतझड़ वाले वनों से आच्छादित है। इस क्षेत्र में विंध्य शैल समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ बॉक्साइट, चूने तथा सीमेन्ट का पत्थर और संगमरमर का यहाँ प्रचुर भण्डार हैं। सोन तथा महानदी के कछार की रेत का व्यापार बड़ी मात्रा में किया जाता है। बघेलखण्ड के क्षेत्र में मुख्य रूप से कोल, गोंड, भूमिया, बैगा तथा आदिवासी जातिया रहती हैं। पूरे क्षेत्र में लगभग 40 प्रतिशत कोल आदिवासियों का निवास है इसलिए इसे आदिवासी क्षेत्र माना जाता है। इनके अतिरिक्त सामान्य, दलित एवं पिछडा वर्ग के भी लोग निवास करते हैं।

पठारी तथा आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पारम्परिक तरीके से खेती नहीं की जाती। रासायनिक खाद तथा कीटनाशक रासायनों का उपयोग अधिक किया जाता है। यह क्षेत्र गेहूँ, चना, मसूर तथा दलहनों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है। कोयले की खदानों के कारण सब्जियों का उत्पादन भी प्रचुर मात्रा में होता है। जिले की सीमा पर बाणसागर बाँध बनने के कारण यहाँ की खेती और वनों पर इसका विपरीत प्रभाव हुआ है। पास के जिले उमरिया में टाइगर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बाँधवगढ राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाया गया है जिसके कारण वन में रहने वाले आदिवासियों का जीवन प्रभावित हुआ है। इस क्षेत्र से लगे हुए वनों में किसी समय सफेद शेर पाये जाते थे। साल, सागौन, हर्रा तथा तेंदू यहाँ की मुख्य वनोपज है।

सामाजिक कुरीतियों तथा परम्परागत रुढ़ियों से आज भी समाज मुक्त नहीं हुआ है। सामाजिक दृष्टि से महिलाओं और बच्चों की स्थिति शोचनीय है। बाल मजदूरी तथा महिलाओं द्वारा खेतिहर मजदूरी जीविका का साधन है। लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। शिक्षा का अभाव है तथा उसके प्रति जागरुकता भी नहीं है। महाकौषल क्षेत्र भौगोलिक रूप से जंगली, उबड़-खाबड़, पहाड़ी इलाका है, जिससे यहां की आजीविका वन उपज और वर्षा आधारित खेती पर निर्भर बैगा समुदाय जिन्हें राष्ट्रीय मानव का दर्जा प्राप्त है वह बैगा बाहुल्य क्षेत्र आज विलुप्त होने के कगार पर है।

3.1. – संस्था का विजन एवं मिशन –

दृष्टि (Vision) : – गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन पर क्षमता वृद्धि कर जीविकोपार्जन के साधन खड़े करना ।

लक्ष्य (Mission) : – प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन को सुचारू रूप से संचालित कर गरीबी उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ना जिससे समाज में स्वच्छता, रचनात्मक कार्यों की क्षमता का विकास हो। स्वरोजगार की दिशा में प्रशिक्षित होकर स्वांलम्बी समाज का निर्माण करना ।

4. उद्देश्य:— (समिति निम्न उद्देश्यों पर कार्य करती है)

- प्रशिक्षण – (जैविक कृषि, वृक्षारोपण, नर्सरी एवं जड़ी बूटियों का संग्रह एवं संवर्धन का क्षेत्र में प्रचार प्रसार ।
- वन अधिकार अधिनियम। वनवासियों को वन तथा वनोपज के लिये उचित अधिकार दिलाना।
- पंचायतीराज में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। समाज में महिलाओं को सम्मान तथा अधिकार दिलवाने के लिये शिक्षा तथा ज्ञान का प्रचार प्रसार कर उनकी समझ विकसित करना।
- शिक्षा (एक घुमक्कड़ जनजाति के बच्चों का स्कूल) बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये प्रयास करना।
- स्वास्थ्य (जिला स्वास्थ्य विभाग से मान्यता प्राप्त) ब्लॉक एम.जी.सी.ए. सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में परस्पर सहयोग की भावना से समूहों का निर्माण कर संचालन व प्रशिक्षण के प्रयास करना । (स्व-सहायता समूहों का निर्माण एवं संचालन)
- संगठनात्मक बैठक।
- रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण (NCVT) से मान्यता प्राप्त ।
- स्थानीय संसाधनों पर लोगों का अधिकार एवं प्रबन्धन।
- विलेज टूरिज्म।
- जन अभियान परिषद् के नवांकुर योजना के तहत ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति क्षमतावर्धन प्रशिक्षण आयोजित करना।
- सामाजिक कल्याण के लिये अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध लोक चेतना जागृत करना।
- पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त कर उसके संरक्षण के प्रयास करना।
- स्थानीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं अभिवृद्धि।
- रचनात्मक कार्यों की सहायता से समाज परिवर्तन की दिशा में कार्य करना।
- शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा युवाओं की आजीविका सम्बन्धी समस्याओं के समाधान का प्रयास करना।
- समाज में गांधी विचार का प्रचार प्रसार कर शांति, अहिंसा और प्रेम की भावना जागृत करना।
- गावों में एकजुटता की भावना लाकर सत्य अहिंसा पर आधारित समाज निर्माण हेतु सार्थक पहल कराना ।

5. समिति के दस स्तम्भ –

1. **हमारा आर्थिक** – परावलम्बी समाज से स्वावलम्बी समाज निर्माण के सिद्धान्त पर चलते हुए प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन पर आधारित अहिंसक समाज रचना में लगे समुदाय का निर्माण ताकि भूखमुक्त समाज की रचना हो सके।
2. **हमारी राजनीतिक** – लोक आधारित लोक उम्मीदवार के सिद्धान्त पर लोकनीति के अनुसार चलने के लिए लोगों को खड़ा करना ताकि सही अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना की जा सके।
3. **हमारी शिक्षा** – समग्र विकास पर आधारित ज्ञान का प्रचार प्रसार एवं स्कूली बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ रोजगारोन्मुखी शिक्षा देना ताकि बेरोजगारी की समस्या का उन्हें सामना न करना पड़े।

4. **हमारा समाज**—अखण्डता,सम्प्रभुता,समभाव परस्पर भाईचारे के साथ—साथ एकता,समानता, सामूहिकता एवं न्याय पर आधारित समाज जिसमें ऊंच—नीच, अगड़े—पिछड़े जाति आधारित भेदभाव न हो।
5. **हमारी संस्कृति** — स्थानीय लोक कला एवं संस्कृति के कलाकारों को संगठित कर पुनर्जीवित करना उनका संवर्धन एवं संरक्षण कर वातावरण उपलब्ध करवाना।
6. **हमारी कृषि** —लम्बे समय तक भूमि की उत्पादन क्षमता बनाये रखने वाली खेती को प्रोत्साहन देकर पारम्परिक ढंग से खेती कर रहे किसानों का उत्साह बढ़ाना ताकि वे कृषि की रीति नीति का विकास कर सकें।
7. **हमारा सशक्तिकरण** — गरीबी झेल रहे दीन दुःखी जो अपाहिजों जैसा जीवन जीने के लिए विवश हैं। समाज में विद्यमान ऐसे स्त्री पुरुषों के प्रति असमानता और उपेक्षा को दूर कर समानता का दर्जा दिलवा कर शोषण, अत्याचार एवं भ्रष्टाचार से मुक्त सशक्त सामाजिक ढांचे का निर्माण करना।
8. **हमारा परिवेश** — स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना जहाँ हिंसा, लूटपाट, वैमनस्यता, दुराचार तथा तेरे मेरे लिए कोई स्थान न हो।
9. **हमारा सहयोग एवं मित्रता** — परस्पर सहयोग की भावना को पुनर्जीवित कर एक दूसरे की सहायता व मित्रता को बढ़ावा देना ताकि पूरा गांव और समाज अपनी समस्याएँ आपसी सहयोग व मित्रता के आधार पर सुलझा सकें।
10. **हमारी संस्था** — उपरोक्त विचारों के क्रियान्वयन के लिए तथा समाज कल्याण के काम का विकास करने में संस्था एक मजबूत आधार स्तम्भ है।

6. कार्यक्षेत्र —

क्रं.	जिला	ब्लॉक	गांव
1	कटनी	बड़वारा	120
		ढीमरखेड़ा	15
2	डिण्डौरी	समनापुर	40
		बजाग	20
3	मण्डला	बिछिया	10
		मवई	10
4	बालाघाट	बैहर	30
5	उमरिया	मानपुर	05
6	रायसेन	ओबेदुल्लागंज	05
कुल	6	09	255

उपरोक्त कार्यक्षेत्र के अलावा स्कॉलरशिप, एकता लोक कला मंच, भूमि अधिकार अभियान शोध, नेशनल एडवोकेसी एवं नेटवर्किंग, स्थानीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन आदि विषयों पर भी संस्था कार्यकर्ताओं के द्वारा काम कर रही है।

7 . समिति की प्रमुख गतिविधियाँ – संस्था द्वारा आयोजित गतिविधियां निम्न है।

7.1 महाकौषल – संगठनात्मक, पदयात्रा, कपड़ा –

न्याय, शांति और सम्मान के लिए आदिवासी अधिकार पदयात्रा

दिनांक – 20 नवंबर से 10 दिसंबर, 2014

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ –

जिले – डिंडोरी, मंडला एवं बालाघाट (मध्यप्रदेश) और कबीरधाम (छत्तीसगढ़)

परिचय – एकता परिषद पिछले 25 साल से जल, जंगल एवं जमीन के मुद्दे पर आदिवासी एवं वंचित समुदायों के लिए देश के 15 राज्यों में कार्यरत है। पद यात्रा, अहिंसक आंदोलन एवं जन पैरवी एकता परिषद की पहचान है। स्थानीय संसाधनों पर आदिवासियों एवं वंचित समुदाय के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए उनकी आजीविका को स्थाई बनाए रखने और उन्हें गरीबी से बाहर लाने के लिए एकता परिषद अहिंसक आंदोलन पर जोर देता है। विभिन्न जनसंगठनों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से विमर्श एवं आंदोलन को विस्तार देते हुए एकता परिषद ने जनादेश 2007 एवं जनसत्याग्रह 2012 जैसे व्यापक आंदोलन भी किए हैं। अहिंसक आंदोलन के विभिन्न तरीकों को अपनाते हुए वह देश के कई राज्यों में गरीब समुदाय को न्याय और आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत है, जिससे कि समाज में शांति की स्थापना हो सके और आर्थिक एवं राजनैतिक गैर बराबरी दूर हो सके। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर निकाली गई पद यात्राओं के परिणाम भी देखने को मिले हैं, पर उन परिणामों के बावजूद समग्र बदलाव एवं बड़े स्तर पर नीतिगत बदलाव के लिए आगे और काम किए जाने हैं। एकता परिषद द्वारा आयोजित किए गए व्यापक आंदोलन जनादेश 2007 और जनसत्याग्रह 2012 के परिणाम कुछ व्यापक रहे हैं। जनोदश 2007 के बाद भूमि सुधार परिषद का गठन किया गया और आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने के लिए वन अधिकार कानून बनाया गया, पर इसके बावजूद आदिवासियों एवं अन्य वंचित समुदायों को पूरी तरह न्याय नहीं मिल पा रहा है। 2007 के आंदोलन के बाद एकता परिषद ने 2012 में 'जनसत्याग्रह 2012' आयोजित किया, जिसमें 2 अक्टूबर 2012 को ग्वालियर से दिल्ली के लिए एक लाख लोग कूच किए और आखिरकार केंद्र सरकार को जनसत्याग्रहियों के साथ समझौता करना पड़ा। वंचितों एवं आदिवासियों के हित में उनके आजीविका एवं संसाधनों पर अधिकार के लिए एकता परिषद की एक पुरानी मांग भूमि सुधार नीति बनाने पर केंद्र सरकार ने सहमति दी। इसके साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण मसलों पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश एवं एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजगोपाल पी.व्ही. के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। उपरोक्त संदर्भों में एकता परिषद ने यह निर्णय लिया कि संगठन के आंदोलन, जनपैरवी एवं संवाद के माध्यम से आदिवासी एवं वंचित समुदायों के लिए बनाए गए कानूनों, नीतियों एवं योजनाओं की जमीनी हकीकत को गहनता से समझने के लिए समुदाय के साथ संवाद किया जाए और स्थानीय प्रशासन के साथ भी संवाद कर उन्हें जमीनी हकीकत से अवगत कराया जाए। यह प्रक्रिया पदयात्रा से ही संभव है और इसे ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश के डिंडोरी के चांडा से छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कवर्धा तक न्याय, शांति और सम्मान के लिए आदिवासी अधिकार पदयात्रा का आयोजन किया गया।



उद्देश्य

1. आदिवासी और वंचित समुदाय के न्याय, शांति और सम्मान के लिए समाज और सरकार के साथ संवाद करते हुए उनके अधिकारों के लिए संगठित प्रयास करना।
2. मौजूदा कानूनों, जैसे – वन अधिकार कानून, पेसा, भूमि अधिग्रहण कानून, खाद्य सुरक्षा कानून आदि के संदर्भ में जमीनी हकीकत को समझना।
3. स्थानीय संसाधन पर आदिवासी का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों को कारपोरेट कंपनियों के हवाले करना जैसे गंभीर सवालों को समुदाय के बीच ले जाना और समुदाय की प्रतिक्रिया को समझना।

4. समुदाय को संगठित करना, जिससे कि कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सरकार पर दबाव डाला जा सके और जरूरत पड़ने पर आंदोलन किया जा सके।

महत्वपूर्ण तथ्य –

राज्य मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ जिला डिंडोरी, मंडला एवं बालाघाट (मध्यप्रदेश) और कवर्धा (छत्तीसगढ़) दिन 21 (12 दिन मध्यप्रदेश एवं 9 दिन छत्तीसगढ़) पदयात्रा पड़ा व 38 गांव (21 मध्यप्रदेश एवं 17 छत्तीसगढ़) कुल दूरी 262 किलोमीटर (172 किलोमीटर मध्यप्रदेश में एवं 90 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में) संपर्क किए गए गांव 114 पंजीयन 4130 पदयात्री संपर्क संख्या 14,000 ग्रामीण स्थानीय सहयोग राशि कुल 36,722 रुपए स्थानीय अन्नदान (चावल, दाल, शक्कर) 3 क्विंटल 57 किलोग्राम स्थानीय ईंधन एवं अन्य सामग्री दान लकड़ी, दोना-पत्तल (लगभग 15,000 रुपए) लगातार चलने वाले पदयात्री 38

यात्रा के दरम्यान उभरकर आए मुद्दे

जमीन से जुड़े मुद्दे

- विशेष पिछड़ी जनजाति में चिह्नित होने के बावजूद कई गांवों में वन अधिकार कानून के तहत
- व्यक्तिगत दावा किए जाने के बावजूद जमीन नहीं मिलने की शिकायतें मिली।
- वन अधिकार कानून के तहत व्यक्तिगत दावों में जितना दावा उतनी जमीन नहीं मिलना।
- सामुदायिक वन अधिकार के बारे में जानकारी का अभाव दिखा एवं कई गांवों में दावा के बावजूद
- अभी सामुदायिक अधिकार नहीं मिला है एवं इसके बारे में लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है।
- अन्य परम्परागत आदिवासियों का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाना।
- वन्यजीव कॉरिडोर के कारण होने वाले विस्थापन के प्रति लोगों में अनभिज्ञता है, जिसकी वजह से
- उनकी जमीनें छिन जाने की स्थिति बन गई है।
- आवंटित जमीन पर कब्जा होने के बावजूद सीमांकन नहीं किया जाना।
- पट्टे का कागज होने के बावजूद जमीन पर कब्जा नहीं होना।
- पट्टे की जमीन को सुधरवाने की मांग प्रशासन द्वारा अनसूनी करना।
- काबिज जमीन पर खेती के बावजूद वन विभाग द्वारा फसल चराई करवा देना।
- काबिज भूमि का पट्टा नहीं मिलना।
- भू-अंतरण नहीं होना।
- राजस्व भूमि का पट्टा नहीं मिलना।
- 60 साल से कब्जा के बावजूद वन विभाग द्वारा हस्तक्षेप जमीन पर हस्तक्षेप करना।
- जमीन का पट्टा नाम से होने के बावजूद वहां का कब्जा दूसरे का होना एवं इसकी शिकायत पर
- सुनवाई नहीं होना।
- वन अधिकार कानून के तहत किए गए दावे फार्म वाली फाइल गुम होना।
- डूब क्षेत्र में बाजार दर से काफी कम मुआवजा मिलना।
- जमीन से अतिक्रमण हटाने के नाम पर हल, बखर जप्त करना।

यात्रा का विवरण

चांडा की जन सुनवाई एवं आमसभा, 20 नवंबर 2014 (उद्घाटन) हजारों आदिवासियों ने किया न्याय, शांति और सम्मान के लिए शंखनाद

मध्यप्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचल डिंडोरी के बैगा चक इलाके के चांडा में न्याय, शांति और सम्मान के लिए हजारों आदिवासियों ने राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन में भाग लिया एवं एकता परिषद की अगुवाई में 21 दिवसीय आदिवासी अधिकार पद यात्रा की शुरुआत की गई। सबसे पहले विभिन्न गांवों से आए आदिवासियों ने अपनी समस्याओं को रखा और उस पर चर्चा की गई। इसके बाद एकता परिषद के अध्यक्ष एवं अन्य साथियों ने सभा को संबोधित किया। चांडा में आदिवासी समाज द्वारा प्रतिपादित पंचषील

घोषणा-पत्र को जारी किया गया, जिसे हजारों हस्ताक्षर के साथ सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को भेजने का निर्णय लिया गया।

आदिवासी समुदाय से जुड़े मसलों की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति का जल्द हो गठन : राजगोपाल पी.व्ही.

यात्रा का नेतृत्व कर रहे एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद, भारत सरकार के सदस्य राजगोपाल पी.व्ही. ने कहा कि आदिवासी समुदाय न्याय, शांति और सम्मान के लिए पहले संवाद करना

चाहता है। हम चाहते हैं कि आदिवासियों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, इसके लिए सरकार केवल प्रतिबद्धता नहीं दिखाए, बल्कि इस पर अमल करे। श्री राजगोपाल ने कहा कि पूरे देश-दुनिया में आदिवासियों एवं वंचितों के साथ अन्याय हो रहा है। वे शांति से रहना चाहते हैं, पर उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। वे सम्मान चाहते हैं, पर उन्हें अपमानित किया जाता है। वे अन्याय से मुक्ति चाहते हैं, कई फर्जी मामले में उन्हें फंसा दिया जाता है, उनकी जमीन छिनी जा रही है। आदिवासियों ने पहले भी संघर्ष किया है, जिसकी बदौलत थोड़ा-बहुत उन्हें सफलता भी मिली है, पर आज भी उनके साथ अन्याय जारी है, इसलिए एक बार फिर आदिवासी अधिकार पद यात्रा के माध्यम से हम संवाद के साथ-साथ अहिंसात्मक संघर्ष की जमीन तैयार कर रहे हैं। यात्रा के माध्यम से हमारी मांग है कि सरकार आदिवासी समुदाय से जुड़े सारे मसलों की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन जल्द से जल्द करे। यात्रा के माध्यम से गांव-गांव की समस्याओं को सुनेंगे और उससे जुड़े तथ्यों को इकट्ठा करेंगे, जिससे कि सरकार के दावों एवं सुनी-सुनाई बातों के विपरीत हम तथ्यात्मक जानकारियों को सामने ला सकें।

बेहतर पुनर्वास के मुद्दे पर चुप है सरकार : राजगोपाल पी.व्ही.

एकता परिषद ने सरकार को इन मुद्दों पर टास्क फोर्स गठित करने का प्रस्ताव दिया था, पर अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यानों के कारण होने वाले विस्थापन को लेकर नीति बनाने की बात की गई थी। कान्हा-बांधवगढ़ कॉरिडोर, श्योपुर का पालपुर कूनो के विस्तार के कारण हजारों आदिवासियों के समक्ष अजीविका का संकट आ गया है। अभी इसके कारण 29 गांवों पर विस्थापन का संकट आ गया है, पर बेहतर पुनर्वास को लेकर सरकार के पास कोई नीति नहीं है। ऐसे में इन परियोजनाओं की पूरी कार्ययोजना को ग्रामसभाओं में रखना एवं आदिवासी हित को संरक्षित करना जरूरी है और इसी कारण से आदिवासी समुदाय एवं वंचित समुदाय आंदोलन करने के लिए बाध्य है।

कवर्धा की जन सुनवाई एवं आम सभा, 10 दिसंबर 2014 (समापन)

न्याय, शांति एवं सम्मान के समर्थन में जुटे हजारों सामाजिक कार्यकर्ता

10 दिसम्बर को कवर्धा के अंबेडकर चौक पर मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले से आए आदिवासी समाज के अधिकार के लिए मुखिया पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी के लोग शामिल हुए। 20 नवंबर को चांडा से शुरू की गई न्याय, शांति और सम्मान के लिए आदिवासी अधिकार पदयात्रा का समापन मानव अधिकार दिवस पर किया गया। सभा में उपस्थित समस्त ग्रामीण और सहयोगी संगठन के साथियों का आभार व्यक्त करते हुए पदयात्रा की औपचारिक समापन की घोषणा की गई। समापन समारोह में विभिन्न राज्यों से एकता परिषद एवं अन्य सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक प्रदीप प्रियदर्शी, झारखंड समन्वयक रामस्वरूप, हरियाणा से विनोद शर्मा, दिल्ली से रमेश शर्मा, मुंबई से श्री यतीश भाई मेहता, बिहार से चंद्रशेखर भाई, आंध्रप्रदेश से आरिफ भाई, राष्ट्रीय जनकालत समन्वयक अनीष कुमार, छत्तीसगढ़ के पीलाराम पटेल आदि वरिष्ठ साथियों ने भाग लिया। सभा के अंत में तय किया गया कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र से निकलकर आए मुद्दों को स्थानीय जिला प्रशासन, स्थानीय सांसद एवं मुख्यमंत्री के साथ साझा किया जाएगा। दोनों प्रदेश के मुद्दों को दोनों राज्यों में राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। सभा को एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजगोपाल पी.व्ही. एवं एकता परिषद के अन्य वरिष्ठ साथियों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के छत्तीसगढ़ के संयोजक बसवराज पाटिल, छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय, आदिवासी समाज के मुखिया शिकारी बैगा, नान्हू बैगा, समलिया बाई, हीरो बाई एवं बैगा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लमतू बैगा ने भी संबोधित किया।

आदिवासियों को अधिकार एवं सम्मान नहीं मिला तो होगा बड़ा आंदोलन : राजगोपाल पी.व्ही पद यात्रा के अंतिम पड़ाव पर एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पी.व्ही. राजगोपाल जी ने कहा कि चांडा से

चली इस आदिवासी अधिकार पद यात्रा को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां के प्रशासन ने संपूर्ण समर्थन किया एवं स्थानीय समस्याओं को तत्काल निराकरण करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। वंचित समाज को हक और अधिकार नहीं मिलने की स्थिति में संगठन अगला कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री आवास के समक्ष सार्वजनिक उपवास एवं कदरें सरकार को घेरने आगरा से दिल्ली की ओर हजारों लोग कचू करेंगे।

आदिवासियों की आवाज को अनसूनी न करें सरकारें : डॉ. रनसिंह परमार

एकता परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. रनसिंह परमार ने सभी को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गांव-गांव से चलकर आए हजारों आदिवासी लोग मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस उम्मीद के साथ आए थे कि प्रदेश के मुखिया माननीय डॉ. रमन सिंह उनकी आवाज को सुनेंगे और उनकी मूलभूत समस्याओं का गंभीरतापूर्वक समाधान करेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सरकारें यदि आदिवासी समाज की आवाज को अनसूनी करती हैं, तो वे आदिवासी समाज द्वारा किए जाने वाले बड़े आंदोलनों का सामना करने के लिए तैयार रहें।

7.2 द हंगर प्रोजेक्ट – महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम – परिचय – कटनी जिला मध्य भारत मे मध्यप्रदेश राज्य के 50 जिलों मे से एक है। कटनी जिला मुख्यालय है जो जबलपुर डिवीजनल का हिस्सा है जो कि डिवीजनल हैड क्वार्टर से 90 किमी. की दूरी पर है। कटनी 28 मई 1998 में बनाया गया नया जिला है। यह मध्य भारत के महाकौषल क्षेत्र मे स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मे से एक है। कटनी जिले के रूप मे आने से पहले जबलपुर जिले की सबसे बड़ी तहसील थी।

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहां सर्वप्रथम पंचायतीराज की स्थापना हुई। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को 50 प्रतिषत आरक्षण देने के बाद बड़ी संख्या मे महिला जनप्रतिनिधि के रूप मे चुनकर आई। राज्य मे आज भी सामन्तवादी प्रथाएं, रूढ़िवादिता तथा पुरुष प्रधान समाज है। जिसके कारण महिलाएं घरेलु हिंसा, अन्याय और भेदभाव से ग्रसित है। संस्था द्वारा लगातार उनके शिक्षण, प्रशिक्षण तथा पंचायत चलाने एवं उनके कौषल को बढ़ाने का काम किया जा रहा है।

मानव जीवन विकास समिति कटनी जिले के बड़वारा ब्लॉक मे वर्ष 2010 से महिला जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण का कार्य कर रही है। 2014 मे बड़वारा ब्लॉक की 50 पंचायतों मे महिला जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण का कार्य चलाया जा रहा है। स्वीप कैम्पेन के माध्यम से आगामी पंचायत चुनाव मे महिलाओं की सशक्त भागीदारी हो इसके लिए इसके लिए भी काम किया गया है।

कार्यक्षेत्र का परिचय – कटनी जिले के बड़वारा ब्लॉक की 50 पंचायतों मे महिला जनप्रतिनिधियों एवं साझा मंच का निर्माण कर गांव एवं पंचायत स्तर की समस्याओं को हल कराने की पहल की जा रही है। मुद्दों को चयन कर पैरवी किया जा रहा है। आगामी पंचायत चुनाव पर महिला संघ की क्या भूमिका होगी तथा संगठन द्वारा क्या काम किया जायेगा। स्वीप अभियान को लेकर आगामी पंचायत चुनाव के सम्बन्ध मे लोगों अधिकतर महिलाओं को दलितों को जगाने का काम किया जा रहा है। संगठन के द्वारा गांव-गांव मे जाकर जागृत करने का काम किया जा रहा है।

कार्यक्षेत्र की 50 पंचायतों के 116 गांव मे 313 महिला जनप्रतिनिधि,

35 नई पंचायत मे महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या- 220, पुरानी 15 पंचायत की महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या- 93, साझा मंच की संख्या- 10 जिसमे महिलाओं की संख्या- 400 है, साझा समूह गठन- 5 पंचायत जिसमे महिलाओं की संख्या 200 है।

राशन दुकान - 15 पंचायतों मे 15 सरकारी राशन दुकान, आंगनवाड़ी - 15 पंचायतों मे 48 आंगनवाड़ी केन्द्र।

स्वीप अभियान – चुनावी प्रक्रियाओं मे महिलाओं की सशक्त भागीदारी।

(त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कर आगे बढ़ाना।)

अभियान का बड़ा उद्देश्य है कि गाँव/समाज में लोकतांत्रिक सुशासन की स्थापना हो ताकि गाँव/समाज का विकास हो, गरीबों, आदिवासियों, दलितों, महिलाओं, को उनका अधिकार मिले। महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाना, लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए लोगों को शिक्षित करना। निष्पक्ष, भयमुक्त व न्यायपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कर पंचायत चुनाव मे दलित, वंचित व खासकर महिलाओं भागीदार बनाना। याद रखें 50 प्रतिषत आरक्षण के अलावा भी 'अनारक्षित' सीटों पर महिलाएं एवं पुरुष दोनो चुनाव लड़ सकते है। पंचायत के चुनाव में हिंसा और उत्पीड़न रोकने के लिए पहल करना। पंचायत चुनाव मे महिलाओं की सम्पूर्ण भागीदारी, सामूहिकता के साथ भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना, चुनाव के समय

महिला एजेण्ट तैयार करना ताकी महिलाओं के साथ भेदभाव न हो । भयमुक्त वातावरण एवं माहौल बनाने के लिए काम किया गया।

अभियान की पहुंच – कटनी जिले के बड़वारा ब्लॉक की 50 पंचायतों के 116 गांव मे अभियान की पहुंच विकसित हुई।

महिला जनप्रतिनिधि	साझामंच महिला	अन्य महिला	पुरुष	सरकारी कर्मचारी	कुल
313	600	22795	11062	87	34857

अभियान की प्रक्रियायें –

- रैली, पोस्टर प्रदर्शनी, दिवाल (नारा) लेखन, पोस्टर/पम्पलेट वितरण, चुनाव सम्बन्धित आडियो, नुक्कड़ नाटक, माईक से एलाउंस, गीत, गाने, सफल कहानियां, चुनाव का डेमो प्रदर्शन।

अभियान विभिन्न स्टेकहोल्डर के साथ अनुभव

(i) प्रशासन – प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारियों से अभियान को लेकर बातचीत करते हुए बताया गया कि यह स्वीप अभियान चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य है चुनावी समस्त प्रक्रियाओं में महिलाओं की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करना। अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विशेष सहयोग प्राप्त हुए। जनपद एवं तहसील कार्यालय से चुनाव प्रभारी को भी अभियान से जोड़ा गया एवं अभियान की जानकारी प्रशासन के माध्यम से जन-जन तक संदेश के रूप में पहुंचाया गया। इसके अलावा भी रूचि लिया की गांव में जाकर अभियान में शामिल होकर लोगों को चुनाव की जानकारी देना एवं ई.व्ही.एम. मशीन का डेमो प्रदर्शन कर लोगों को वोटिंग करने की जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि आपको अपना मत आवष्य देना है आप सभी निष्पक्ष होकर मतदान करें। महिलाओं के अधिकार एवं आरक्षण की जानकारी भी दी गई तथा अनारक्षित सीट एवं खुली सीट के बारे में विस्तार से बताया गया कि खुली सीट में महिलाएं भी भाग ले सकती है। स्वीप अभियान से निकलकर आया कि लोग अधिक से अधिक संख्या में जागरूक हुए खासकर महिलाएं इस कार्यक्रम से अधिक लाभान्वित हुई है।

(ii) मीडिया – स्वीप अभियान कार्यक्रम में मीडिया का सहयोग बहुत ही सराहनीय रहा है जो कि कार्यक्रम को न्यूज पेपर में छापकर जन-जन तक पहुंचाने का काम किया है। स्वीप अभियान से सम्बंधित बैठकें, रैली, प्रदर्शनी, संभावित महिला नेतृत्व कार्यशाला, सिमुलेशन कैम्प, फेडरेशन मीटिंग, महिला हिंसा विरुद्ध कैम्पेन आदि कार्यक्रमों में मीडिया उपस्थित होकर न्यूज कवरेज के माध्यम से हाईलाईट करने का प्रयास किया है जिससे लोगों को जानकारी हुई साथ ही सरकारी दफ्तरों में भी यह खबर छा गई की स्वीप अभियान कार्यक्रम चुनावी चक्र को लेकर चलाया जा रहा है जिसमें लोगों को पूर्ण रूपेण जानकारी से परिपक्व बना रहा है। बताया जाता है कि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा खबरों के माध्यम से जानकारी को सभी जगह पहुंचाया जा सकता है। और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम कर सकता है। अखबार की खबर पढ़कर अधिक से अधिक लोगों का जुड़ाव हुआ ।

(iii) साझा मंच – स्वीप अभियान कार्यक्रम में साझा मंच एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि सहयोगी तंत्र के रूप में अभियान से जुड़ा एवं अन्य लोगों को अधिकांश संख्या में जोड़ने का काम भी किया है। स्वीप अभियान का संदेश जन-जन तक एवं गांव मोहल्ले के कोने-कोने तक पहुंचाने में सहयोगी तंत्र की भूमिका साझा मंच निभाया है। साझा मंच की बहने स्वयं जागरूक हुई साथ अन्य महिलाओं को भी जागरूक करने का काम किया है। चुनावी दौर में साझा मंच की महिलाओं ने अधिक संख्या में प्रत्याषी, एजेण्ट, प्रस्तावक के रूप में उभरकर सामने आयी है । यह संगठन एवं संस्था का महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है।

(iv)अन्य NGO – स्वीप अभियान कार्यक्रम मे अन्य संस्थाओं के साथी भी शामिल होकर सहयोग प्रदान किया है खुद जुड़े एवं दूसरों को जोड़ने का काम किया है अभियान की रैली, प्रदर्शनी एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार प्रसार करने मे मददगार रहा है।

Annual Work Plan - Madhya Pradesh- Manav Jeevan Vikas Samiti - Jan - Dec 2014

Sl.No.	Activity	Total Units Approved	Complete Activity	Participants EWR	Other Women	Men
1. SWL - SWEEP Campaign						
	Sweep - Potential leadership workshops	35	35	236	1171	0
	Simulation Camps	30	30	165	1605	0
	Village/Cluster Meetings/Exhibition/Rally	100	100	477	3471	281
	Slogan Writing	50	50	193	2365	983
	Women Conference/ Sweep Meeting	3	3	80	406	11
	Information Centre	6	6	324	9087	6116
2. Federation Strengthening (FS)						
	Federation meetings at Block level	4	4	160	2	0
2. Advocacy/ Alliance Building/ Communication						
	16 Days VAW Campaign	1	1	328	3565	2426

1. फेडरेशन मीटिंग ब्लॉक स्तरीय एजेण्डा –

- स्वीप अभियान पर संघ की भूमिका पर चर्चा।
- लोकसभा चुनाव पर चर्चा , आगामी पंचायत चुनाव पर संघ की भूमिका पर चर्चा।
- पिछले चार साल मे आपने क्या सीखा , आगामी 3 महीने मे क्या-क्या करेंगे। फेडरेशन की पहुंच विकसित करने के सम्बन्ध मे।

चर्चा –

कृष्णा सिंह सरपंच बिलायतकलां द्वारा संघ की बैठक की शुरुआत पिछले चार साल के अनुभव एवं सीख को बताकर किया गया। सभी संगठन की बहनें मानव जीवन विकास समिति एवं द हंगर प्रोजेक्ट से जुड़कर अपना डर और झिझक दूर कर पाये है जिससे अब कही भी बात करने मे डर नही लगता। तुलसा बाई सरपंच लखाखेरा हमने तो संस्था से जुड़कर बहुत दूर दूर तक जाते है और सीखते है। आंगनवाडी को संस्था द्वारा जब कही गई थी देखी की यहां अच्छी चल रही है तो उसी प्रकार से अपने गांव की आंगनवाडी को भी बना दिया यह सीख भी हमे मिली। तुलसा बाई पंच नन्हवारासेझा हमने सभी पंच सरपंच बहने मिलकर सरकारी राषन की दुकान की गड़बड़ी को ठीक किया है। अब सही मात्रा मे सभी को राषन मिलने लगा है। समुदिया बाई सरपंच कछारी आंगनवाडी और स्कूल की निगरानी करने जाते है मध्यान्ह भोजन को चेक करते है। जिससे अब सुधार हुआ है। संगठन का दवाब भी बना रहता है। कौषित्या बाई सरपंच नन्हवाराकलां अन्दर की झिझक दूर हुई हमे आगे बढ़ने के लिए संगठन का अच्छा साथ मिला। ज्ञान बाई पंच झापी (कछारी) हम भी बहुत कुछ सीख गये है घर से बाहर निकलने लगे है।



राधा बाई पंच बिलायतकलां मानव जीवन विकास समिति से जुड़कर ही अपनी झिझक एवं डर दूर कर पाये है हमने लोकसभा चुनाव मे अधिक से अधिक महिलाओं को बोट डालने को प्रेरित किया है। आगामी पंचायत चुनाव मे भी आगे आयेगे तथा अपने साथ अन्य दूसरी महिलाओं को भी चुनाव मे खड़े होने को प्रेरित करेंगे। **कमला बाई पंच नन्हवारा सेझा** फेडरेशन की भूमिका को मजबूत करने के लिए हमे तथा संगठन को प्रयास करना होगा कि गांव का विकास हो लोगों का काम न होने पर संगठन के प्रयास अधिकारियों से जाकर संवाद करना होगा जिससे संगठन का नाम होगा। **कौषिल्या बाई सरपंच नन्हवारा कलां** कोई भी काम हो संघ के माध्यम से पूरा कराने के लिए ताकत मिल जायेगी। मछलियों का उदाहरण देकर भी बताया गया कि आप तो जानते है कि यदि तालाब मे एक बड़ी मछली होगी तो छोटी-छोटी मछलियों को खा जाती है, लेकिन वही पर अगर छोटी-छोटी मछलियों का यदि संघ बन जाता है तो बड़ी मछली का रूप धारण कर लेती है और खुद ही बड़ी मछली को खाना शुरू कर देती है। **प्रभा सिंह सरपंच पथवारी** – आज कल तो पानी की समस्या, बी.पी.एल. कार्ड की समस्या, आंगनवाड़ी भवन की समस्या, आंगनवाड़ी तथा स्कूल मे मध्याह्न भोजन बच्चों को सही न मिलना, समूह की ग्रेडिंग की समस्या, रोजगार गारंटी योजना के काम का मजदूरी भुगतान की समस्या, शौचालय की राशि बढ़ाने एवं पंच सरपंच को मानदेय दिलाने की समस्या आती है संगठन के प्रयास से इस कात को प्रभासन के सामने रखा जायेगा। **श्रीमती बबीता सिंह बड़वारा जनपद पंचायत से** अपने उद्बोधन में कहा कि आप सब निर्वाचित बहनें आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलकर वास्तविक पंचायतीराज की भावना को समझकर आगे के कार्यक्रमों में भाग लेकर बड़वारा ब्लाक को विकास की धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे।

श्री के.एन. तिवारी ब्लॉक समन्वयक रोजगार गारंटी योजना जनपद पंचायत बड़वारा शासन के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं दी जाती है वह सब पंचायत को सौंप दी जाती है वह पावर सरपंच के हाथ मे होती है जो कि पात्र व्यक्ति को ग्रामसभा एवं बैठक मे अनुमोदन करके उसको लाभ दिलाया जा सकता है। सबसे मुख्य बात तो यह है कि सभी समय पर कार्यालय नियमित रूप से 11.00 से 5.00 बजे तक खुलना चाहिए कार्यालीन समय पर सरपंच एवं सचिव को नियमित बैठना है और गांव की समस्या पर ध्यान देते हुए काम कराना है सरपंच को इतना तक पावर है कि वह सचिव को जब छुट्टी देगा तभी कार्यालय छोड़ सकता है वरन वह अपनी अनुमति से कोई भी काम नही कर सकता है।

श्री नारायण सोनी सचिव संघ के बड़वारा ब्लॉक अध्यक्ष सबसे पहली बात तो यह है कि यदि महिला सरपंच है तो महिला अपने पद को स्वयं संभाले क्योंकि देखा जाता है कि महिला की जगह उसका पति जाता है और अपना अधिकार बताता है यदि महिला सक्षम हो गई और अपना अधिकार और कर्तव्य जानने लगेगी तो पुरुष वहां नही जायेगा। पंचायत मे वर्ष मे चार बार ग्रामसभा होती है और मासिक बैठक होती है उसमे जाकर आय व्यय का हिसाब लें तथा अपनी एवं गांव की समस्या को प्रस्तावित करायें जरूर ही हल होगा। जैसे गरीबी रेखा मे नाम जुड़ने के लिए तहसीलदार के यहा आवेदन किया जाता है फिर तहसीलदार पटवारी के द्वारा जांच कराता है उसमे अंक निर्धारित होता है कि जो व्यक्ति को 0 से 8 अंक तक मिलते है उसे अति गरीबी की श्रेणी मे जाने देते है एवं 8 से 14 अंक प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा मे जोड़ दिया जाता है तथा इसके ऊपर अंक प्राप्तकर्ता को सामान्य की श्रेणी मे जाने देते है।

कृष्णा सिंह सरपंच बिलायतकलां आगामी प्लानिंग करेंगे। **कृष्णा बहन** सभी बहनें होने वाले चुनाव मे अन्य महिलाओं को वोट डालने का महत्व बतायेंगे। पैसा के लालच मे नही पड़ना अपने मन से जिसको भी वोट देना हो दीजिए

2. स्वीप गांव/कलस्टर मीटिंग/एकजवीषन/रैली कार्यक्रम

एजेंडा -

- पंचायत चुनावी प्रक्रियाओं मे महिलाओं की सशक्त भागीदारी के सम्बन्ध मे। पंचायत में महिलाओं को क्यों चुनकर आना चाहिये।
- अच्छे नेता के गुण। महिलाओं की एकजुटता के लिए प्रेरित करना।
- फेडरेशन सदस्यों को पंचायत अनुसार जोड़ना और उनके नेतृत्व में मीटिंग आयोजित होना।
- महिलाओं को विभिन्न माध्यमों से मीटिंग की पूर्व सूचना मिलना।
- आयोजन में सक्रीय महिलाओं को भागीदार बनाना। स्थानीय मुद्दों को पंचायत चुनाव से जोड़कर देखना।



बातचीत – मुन्नी बाई पंच बिलायत खुर्द – द हंगर प्रोजेक्ट की बैठक के बाद ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत में पात्र हितग्राहियों का पेंशन दिलाया वह महिला है प्रेम बाई, छितिया बाई।

तुलसा बाई सरपंच लखाखेरा – पानी की समस्या पर प्रस्ताव रखकर हैण्ड पम्प लगवाया, तथा 57 लोगों को पेंशन दिलाया।

प्रभा सिंह सरपंच पथवारी – सड़क का काम, पेंशन का काम, पानी, बिजली आदि समस्या पर काम को करवाया है। साथ ही इन्दिरा आवास जैसे धनिया बाई, रामबाई, जानकी बाई, कैलसिया बाई। 11 लोगों को विकलांग पेंशन।

समुदिया बाई सरपंच कछारी – पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने का काम किया है।

तुलसा बाई पंच नन्हवारा सेझा अगर हमको बैठक करनी होती है तो सभी पंच मिलकर बिना सचिव सरपंच के कर लेते हैं। हम पंच हैं फिर भी काम करते हैं और काम की मांग करने पर काम दिया जाता है। फिर काम पर हमने मजदूरों की गिनती कर लेते हैं और पूरा हिसाब किताब रखते हैं। जिससे सरपंच सचिव अब चोरी नहीं कर सकते हैं।

गीता बाई पंच बड़ागांव हम तो पंच सरपंच के साथ रहकर आगे बढ़े हैं पंचायत के सचिव हमारा काम नहीं करता है हम गांव का विकास चाहते हैं।

तिरसिया बाई सरपंच बड़ागांव हम सरपंच बनने के बाद महिलाओं के साथ आना जाना प्रारम्भ किये जिससे हमारे मन में डर था वह दूर हुआ पहले मेरे पति सरपंच थे उनके स्वर्गवास होने के बाद लोगों ने मुझे सरपंच बना दिया जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हूँ।

कल्लू बाई पंच बड़ागांव हम बहुत कुछ सीख गये हैं अब फिर से पंचायत का चुनाव होगा उसमें हम फिर से चुनाव में खड़े होंगे और जीतेंगे। स्वीप अभियान में हम सहयोग करेंगे।

शकुन्तला बाई पंच बिलायतखुर्द अपने उद्बोधन में सबको धन्यवाद देते हुए कही की मैं शासन द्वारा दिये गये गरीबों को जो भी लाभ होगा उचित रूप से दिलवाने के लिए तत्पर रहूँगी एवं गांव की गली में नाली की व्यवस्था भी करवाऊँगी। तथा मिलजुल कर काम करने व पंचायतों का विकास करने में गाँव की मूलभूत सुविधाओं को लागू कराने, शासन की योजनाओं का सही क्रियान्वयन करने पर बल दिया।

सहजकर्ता यह सब आपकी जबाबदारी है कि आप पंचायत में जाये और बैठक की जानकारी ले बैठक में काम कराने का रूप रेखा तैयार कर काम को आगे बढ़ाये।

रैली एवं प्रदर्शनी कार्यक्रम का एजेण्डा निम्नानुसार है -



- स्वीप कार्यक्रम की जानकारी देना। महिला अधिकार एवं आरक्षण की जानकारी देना।
- पोस्टर पम्पलेट के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया गया।
- आरक्षण की भ्रान्तियों को तोड़ने का किया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से चुनाव की प्रक्रियाओं को भी जोड़ा गया।
- दलित एवं वंचित समुदाय की महिलाओं को जोड़ने का काम

किया।

3. संभावित महिला उम्मीदवारों की कार्यषाला एजेण्डा -

- कार्यषाला का उद्देश्य महिला नेतृत्व क्षमता का विकास करना। अभियान की जानकारी देना।
- पंचायत चुनाव में खड़े होने के लिए तकनीकी जानकारी देना।
- नामांकन फार्म भरने के लिए क्या क्या दस्तावेज जरूरी है।
- आरक्षण की जानकारी देना। महिलाओं के चुनाव में अधिकार क्या है।
- पंचायत चुनाव में किस पद पर खड़ा होना चाहती है ? और क्यों ?
- सम्भावित उम्मीदवारों के सम्बन्ध में। महिला नेतृत्व की जानकारी देना।
- राजनीति की जानकारी। त्रिस्तरीय पंचायतीराज चुनाव की जानकारी देना।

अधिकार – महिला और पुरुष को बराबरी का अधिकार दिया गया है। कोई भी काम की मजदूरी महिला हो या पुरुष बराबर मिलनी चाहिए क्योंकि काम तो बराबर करते हैं यह भी निर्धारित कर दिया गया है कि अब महिला हो या पुरुष सभी को बराबर मजदूरी मिलेगी। काम में दुराभाव नहीं करना चाहिए। सहभागियों से पूछा गया कि सरकार द्वारा प्राप्त **6 मौलिक अधिकार** कौन-कौन से दिये गये हैं। सभी सहभागियों ने कहा हमें पता नहीं है फिर हाथ की ऊंगुलियों के माध्यम से 6 मौलिक अधिकारों के बारे में समझाया गया।

1. स्वतंत्रता का अधिकार
2. समानता का अधिकार
3. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
4. शिक्षा का अधिकार
5. शोषण के विरुद्ध अधिकार
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों की बारीकियों को महिलाओं को बताया गया।



माया बाई कछारी से इन्होंने कहा की महिलाओं में बहुत ताकत है लेकिन महिलाओं को स्वयं पता नहीं है अपना अधिकार और महिलाओं को बताया भी नहीं जाता था क्योंकि पंचायत का सचिव चाहता है कि महिलाएँ यदि जागरूक हो गयी तो महे नहीं टिकने देंगी।

राम बाई कछारी ने कहा कि हम 12 महिलाओं का समूह बनाकर शासन की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। समूह द्वारा कुछ राशि भी बचत किया जाता है जो विकास कार्य में लगाया जाता है।

गीता बाई चांदन द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक शाला तथा आंगनवाड़ी केन्द्र के मध्याह्न भोजन जैसे कार्यक्रम का निगरानी करना आवश्यक है इसके लिए 5-10 महिलाओं का संगठन हो और वह संगठन जाकर समय-समय पर निगरानी करती रहे इसे हम निगरानी समिति भी कह सकते हैं।

उमा बाई चांदन से ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव की मनमानी से गांव का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है जिससे हम गांव की सभी महिलाओं ने सोचा है कि संगठन बनाकर अपने अधिकारों का लाभ उठाये। इसी से ही समाज गांव तथा देश का विकास हो सकता है।

रुकमणी बाई नन्हवारासेझा से हम चाहते हैं हमारा, गांव तथा पंचायत का विकास हो लेकिन क्या करे दबंगों के मारे विकास नहीं हो पाता है समाज में फैली कुरूपतियां भ्रष्टाचारी के कारण भी नहीं आगे बढ़ पाते हैं।

छोटी बाई नन्हवारासेझा साझा मंच की महिला मनरेगा में 100 दिन का काम तो निर्धारित है परन्तु 100 दिन काम मिल नहीं पाता है और निर्धारित समय पर काम भी नहीं मिलता है ना ही काम न देने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। मजदूरी कम दी जाती है बहुत दिनों के बाद दिया जाता है। जिसके कारण भी हम परेशान हैं। तभी तो लोग बहुतायत संख्या में पलायन करते हैं।

अनुसुईया बाई लखाखेरा वृद्धापेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन भी पात्र हितग्राहियों को पेंशन दिलाने में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

नीता पाण्डेय लखाखेरा जब मैं पंच बनी थी उस समय मुझे कोई जानकारी नहीं थी जब से मानव जीवन विकास समिति के द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण एवं बैठक में जाने लगे हैं तब से जानकारियां प्राप्त होने लगी हैं। और साहस भी आने लगी है महिला आरक्षण के बारे में भी पता चल गया यह सब पता चल जाने से हमने अपने गांव के आंगनवाड़ी एवं प्राथमिक शाला में जाकर मध्याह्न भोजन की निगरानी करते हैं जिससे अब सुधार आया है।

4. सिमुलेशन कैम्प – चुनाव की समस्त प्रक्रियाओं को प्रयोगिक रूप में करके समुदाय को बताना।

एजेण्डा –

- समस्त चुनावी प्रक्रियाओं में महिलाओं की सशक्त भागीदारी। स्वीप कार्यक्रम अन्तर्गत गांव में महिलाओं को जागृत करना।
- आगामी पंचायत चुनाव की जानकारी। महिलाओं के अधिकार और आरक्षण की जानकारी देना।
- पंचायत चुनाव में महिलाओं के आरक्षण की गहराई से जानकारी देना। अनारक्षित सीट पर भी महिलाओं की सशक्त भागीदारी हो।
- इस बार के चुनाव में ई.व्ही.एम. मशीन का उपयोग किया जायेगा। चुनावी प्रक्रिया को करके बताना।
- फार्म भरने से लेकर चुनाव की घोषणा तक की प्रक्रिया की जानकारी देना।



उद्देश्य

1. ग्राम पंचायत चुनावी प्रक्रियाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हों। महिलाओं के लिये सकारात्मक वातावरण बने।
2. लोगों में चुनाव प्रक्रिया की समझ। पंचायत चुनावों में महिलाओं को आरक्षण की समझ विकसित हों।
3. भय मुक्त वातावरण बने ताकि स्वयं के निर्णय से महिलायें संवैधानिक पद पर आयें। मतदान का प्रतिषत बढ़े एवं महिला मतदान प्रतिषत बढ़े।
4. ज्यादा से ज्यादा महिलायें प्रभावी रूप से चुनाव लड़ें। अनारक्षित सीट को पुरुष सीट मानने का भ्रम दूर करना।

अभियान के संदेश

- पंचायत चुनाव में महिलाओं की सम्पूर्ण भागीदारी, सामूहिकता के साथ भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करे।
- अनारक्षित सीटों से भी महिला चुनाव हेतु खड़ी हो सकती है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाये और अच्छा नेता चुनकर लाये।
- चुनाव के समय महिला एजेण्ट बनाये जिससे महिलाओं के साथ भेदभाव न हो निष्पक्ष मतदान हो सके।
- कोई पुरुष सीट नहीं होती, अनारक्षित सीट होती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र को सशक्त बनाता है।

स्वीप में संघ की भूमिका –

- ❖ संगठन के माध्यम से स्वीप अभियान को चलाने में सफल बनाया जायेगा।
- ❖ संगठन के द्वारा गांव के अन्य जागरूक महिलाओं को जोड़ा जायेगा।
- ❖ आगामी पंचायत चुनाव हेतु महिलाओं को तैयार किया जायेगा।
- ❖ साझा मंच एवं समूह की महिलाओं को जोड़ने का काम किया जायेगा।

प्रक्रिया – गांव में जाकर चुनावी प्रक्रिया का प्रदर्शन करना जिसमें सीट का आरक्षण, नामांकन फार्म से लेकर, प्रचार-प्रसार तक की प्रक्रिया शामिल है। नामांकन फार्म कहां भरे जायेंगे एवं दस्तावेज क्या-क्या लगाना है तथा फार्म भरने का समय क्या होगा और फार्म वापसी का समय कितने दिन का होगा आदि बातों को समाहित किया गया है।

5. सूचना केन्द्र – चुनावी प्रक्रियाओं की समस्त जानकारी सूचना केन्द्र पर रखना। नमांकन फार्म, प्रचार-प्रसार, उम्मीदवार की पात्रता, चुनाव की अधिसूचना, मतदाता सूची, आरक्षण, मतदान, मतगणना, प्रमाण पत्र आदि प्रक्रिया शामिल है।

कलस्टर स्तर पर सूचना केन्द्र की स्थापना की गई है। जहां पर चुनाव सम्बंधी समस्त जानकारी उपलब्ध है। आई.ई.सी. मटेरियल, बुकलेट और फार्मेट भी उपलब्ध है। नामांकन फार्म से लेकर प्रमाण पत्र प्रदाय तक की जानकारी उपलब्ध है।



चुनावी प्रक्रिया – नमांकन फार्म, प्रचार-प्रसार, उम्मीदवार की पात्रता, चुनाव की अधिसूचना, मतदाता सूची, आरक्षण, मतदान, मतगणना, प्रमाण पत्र आदि प्रक्रिया शामिल है। अनारक्षित सीट पर भी महिलाएँ चुनावी मैदान में उतरे। मतदान एवं मतगणना होते समय एजेण्ट महिला भी हो। शत प्रतिशत महिलाओं की वोटिंग हो। अन्त में जीती हुई महिला प्रत्यासी स्वयं अपना प्रमाण पत्र लेने जाये।

- चुनाव की समस्त प्रक्रियाओं की जानकारी जैसे – नमांकन फार्म, प्रचार-प्रसार, उम्मीदवार की पात्रता, चुनाव की अधिसूचना, मतदाता सूची, आरक्षण, मतदान, मतगणना, प्रमाण पत्र आदि प्रक्रिया शामिल है। निष्पक्ष चुनाव का महत्व (बिना रिष्वत, प्रलोभन आदि के)।
- अनारक्षित सीट होने पर भी महिलाओं को चुनाव लड़ने हेतु प्रोत्साहित करना ।
- वंचित उम्मीदवार के संबंध में प्रक्रियाएँ।
- जानकारी (जरूरी फोन नं.,पोस्टर-पंपलेट, नारा आदि की जानकारी)।

नोट – चुनाव से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर शिकायत – राज्य चुनाव आयुक्त, जिला कलेक्टर, पर्यवेक्षक को करें।
म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन 58 – अरेरा हिल्स भोपाल,
फोन नं. 0755-2551535 / 2553623 फेक्स – 0755-2551076

6. महिला सम्मेलन/स्वीप मीटिंग -

महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करना, कानूनी बारीकियों की जानकारी, सामाजिक मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा पैरवी करना, आगामी पंचायत चुनाव की जानकारी से अवगत कराना।

एजेण्डा -

1. जागृति महिला संगठन को मजबूत करने के सम्बन्ध में। महिला अधिकार/आरक्षण के सम्बन्ध में महिलाओं को अवगत कराना।
2. अनारक्षित सीट पर एवं खुली सीट पर भी महिला उम्मीदवारी करें। स्वीप कैम्पेन के सम्बन्ध में।
3. महिला हिंसा अभियान के बारे में। विकास में पंचायतों की भूमिका, पंचायत में महिला नेतृत्व के अनुभव को साझा करना। कैसा नेतृत्व चाहते है ?
4. पंचायत चुनाव में क्या क्या बाधाएं (चुनौतिया) आ सकती है ? महिला नेतृत्व के लिए माहौल बनाना। सामूहिक सहयोग और जोश लाना।
5. आगामी पंचायत चुनाव के सम्बन्ध में। जागृति महिला संगठन को मजबूत करने के सम्बन्ध में।
6. महिला अधिकार/आरक्षण के सम्बन्ध में महिलाओं को अवगत कराना। स्वीप अभियान के सम्बन्ध में।
7. महिला हिंसा अभियान के बारे में। विकास में पंचायतों की भूमिका।



8. पंचायत में महिला नेतृत्व के अनुभव को साझा करना। कैसा नेतृत्व चाहते हैं ?

9. पंचायत चुनाव में क्या क्या बाधाएं (चुनौतिया) आ सकती हैं ? महिला नेतृत्व के लिए माहौल बनाना।

10. सामूहिक सहयोग और जोष लाना। मतदान केन्द्रों को भय मुक्त बनाने के सम्बन्ध में।

कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होने जा रहा है जिसमें आप सभी को अधिक से अधिक संख्या में चुनावी समस्त प्रक्रियाओं में प्रत्यासी, प्रस्तावक, समर्थक एवं एजेण्ट के रूप में भागीदारी करना है। सूचना केन्द्रों का संचालन कलस्टर स्तर पर किया गया है वहां पर चुनाव सम्बन्धी समस्त जानकारियां उपलब्ध करायी गईं वहां पर अधिक से अधिक लोगों को जाने को प्रेरित किया जाय जिसमें से पंचायत चुनाव में आने वाली तकनीकी कठिनाईयों को दूर किया जा सकता है।

कृष्णा सिंह द्वारा बताया गया कि हम भी प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं आगे आये और भागीदारी करें। स्वीप अभियान कार्यक्रम के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक स्वीप का ऐलान पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

मुन्नी बाई पंच बिलायत खुर्द – अपने पंचायत में चल रहे काम की निगरानी कर मेट द्वारा फर्जी हाजिरी पकड़े जाना सामने आया जिस पर रोक लगाया गया। मेट को हटाने को कहा गया जिसमें गांव के लोगों ने सहयोग किया और मेट कार्य से कार्यमुक्त किया गया। पंचायत में सरपंच, सचिव के चलते विकास कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है जिससे हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

तुलसा बाई – पंच नन्हवारा सेझा जो राषि पंचायत में निर्माण कार्य के लिए आती है। उस राषि का सही उपयोग नहीं किया जाता है सरपंच को बताया गया कि इस राषि का सही उपयोग न होने पर आपके ऊपर कार्यवाही की जायेगी। हम महिलाएं जागरूक हो गये हैं आने वाले समय में भी जागरूक महिलाएं आकर पंचायत के काम को सही रूप से करने का प्रयास करेंगी। **सुषीला बाई पंच कछारी** विकास कार्य में जो बाधा आती है उसको रोकने के लिए सभी महिलाओं को एक होना आवश्यक है।

कलावती विलायत खुर्द सरपंच पंचायत का विकास कार्य सही ढंग कर रही हैं।

महिला सम्मेलन कार्यक्रम को अधिकतर पंचायत चुनाव से जोड़कर रखा गया है वह यह भी है कि महिलाएं स्वयं अभियान से जुड़कर आगे तो आये साथ ही दूसरों को भी जोड़े जिससे कि महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो सकें। पंचायत चुनाव के लिए एक अच्छा माहौल बनाये जिससे कि भय मुक्त वातावरण बनें। महिलाएं चुनावी समस्त प्रक्रियाओं में भाग लें जिससे अन्य महिलाओं की भी क्षमता में विकास होगा और निडरता से जुड़ सकेंगी।

द हंगर प्रोजेक्ट भोपाल से शिवानी शर्मा जी ने बताया कि पंचायत चुनावों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिये मध्यप्रदेश के 40 जिलों में 30 स्वयं सेवी संस्थायें और 2000 जागृति संगठन सदस्यों के साथ मिलकर स्वीप कैम्पेन चलाया जा रहा है। जिसका उद्देश्य पंचायत चुनावों की समस्त प्रक्रियाओं में महिलाओं की हर स्तर पर सशक्त भागीदारी को बढ़ावा देना है।

मानव जीवन विकास समिति से कार्यक्रम समन्वयक रामकिशोर रैदास ने भी "स्वीप" कार्यक्रम के बारे में बताया कि बड़वारा ब्लॉक की 50 पंचायतों में स्वीप कैम्पेन अभियान पंचायत चुनाव में महिलाओं की सशक्त भागीदारी को लेकर सिमुलेशन के माध्यम से चलाया जायेगा जिसमें चुनाव के नामांकन फार्म से उपयोगी दस्तावेज एवं अन्य बारीकियों को भी बताया जायेगा जिसमें हमें "ई.व्ही.एम." मशीन की आवश्यकता पड़ेगी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन एवं मीडिया साथी से भी सहयोग की अपेक्षा की है।

परिणाम :-

1. महिलाओं में समझ विकसित हुआ।
2. महिलाएं चुनावी प्रक्रियाओं में शामिल होने एवं सहयोग करने को तैयार हुईं।
3. महिलाओं में भी बोलने की क्षमता विकसित हुई।
4. पंचायतीराज के बारे में जानने की उत्सुकता हुई।
5. एक दूसरे के पंचायत चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी मिली।
6. पति का दबाव थोड़ा कम हुआ और अपने काम के बारे में सोंचने लगीं।
7. जातिगत भेदभाव कम हुआ। अनारक्षित सीट की भ्रान्तियां दूर हुईं।



7. महिला हिंसा विरुद्ध कैम्पेन – महिला हिंसा के विरुद्ध पखवाडा का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा खत्म हो, महिला हिंसा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाये एवं बाल विवाह, भ्रूण हत्या जैसे कुरूपतियों के खिलाफ लोग जागरूक हो ।

प्रस्तावना – महिला हिंसा के विरुद्ध पखवाडा चलाने का आयोजन जागृति महिला पंच, सरपंच संगठन बड़वारा जिला कटनी की महिलाओं ने मानव जीवन विकास समिति के तत्वावधान में द हंगर प्रोजेक्ट भोपाल के सहयोग से बड़वारा ब्लॉक के 50 पंचायतों के चलाने को तय किया गया ।

महिला जागृति पंच सरपंच संगठन बड़वारा की महिलाओं ने गांवों-गाँवों तक पहुँचाने सरकारी कार्यालयों को संवेदनशील करना तथा समाज में महिला हिंसा के माहौल को लोगों तक पहुंचाने के लिए एवं तैयार करने के लिए मानव जीवन विकास समिति ने अपने साधन व द हंगर प्रोजेक्ट भोपाल के सहयोग से बड़वारा जिला कटनी में महिला जनप्रतिनिधियों के साथ माहौल बनाने लायक कार्यक्रम अभियान के तौर में चलाया ।

इस पखवाडे को सफल बनाने के उद्देश्य से मानव जीवन विकास समिति बिजौरी ने अपने वाहन में एक रथ जैसे वैनर, पोस्टर के साथ अपने कार्यकर्ता साथियों और जागृति महिला पंच सरपंच संगठन बड़वारा के पदाधिकारियों के साथ 25/11/2014 को बड़वारा में तैयारी बैठक का आयोजन किया । कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया गया कि हमें अभियान को कैसे तथा कहां-कहां चलाया जायेगा ।

उद्देश्य -

- महिला हिंसा विरुद्ध अभियान के माध्यम से संदेश को पहुंचाना ।
- समाज में महिला हिंसा क बढ़ती घटनाओं पर अंकुष लगाना ।
- महिला हिंसा के संरक्षण अधिनियम 2005 की प्रचार प्रसार करना ।
- बालिका कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना ।
- बाल विवाह रोकना । महिलाओं व लड़कियों को बराबरी के हक की जागरूकता लाना ।
- सामाजिक कुरूपतियों को खत्म करने के लिए समुदाय को जानकारी के माध्यम से जागरूक करना ।
 - पंचायत चुनावी प्रक्रियाओंमें महिलाओं की सशक्त भागीदारी । स्वीप अभियान कार्यक्रम
 - क्षेत्र में महिला हिंसा के विरुद्ध माहौल तैयार हो सके ताकि महिलाओं पर हो रही हिंसात्मक गतिविधियों पर रोक लग सके ।
 - परिवार, समाज, गांव में हो रहे भ्रूण हत्या पर रोक लग सके ।
 - बालिका शिक्षा, कन्यादान योजना, भ्रूण लिंग परिक्षण पर प्रतिबंध, गोद भराई, जननी सुरक्षा योजना, प्रसूति सहायता योजना का सही क्रियान्वयन हो सके ।
 - घरेलु महिला हिंसा कानून क्या है एवं कौन-कौन से है जानकारी देना । महिला हिंसा विरोध कानून की जानकारी देना ।

मुख्य संदेश -

1. कन्या भ्रूण हत्या करना अपराध है एवं सामाजिक कलंक है । बाल विवाह करना कानूनी अपराध है ।
2. महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की पहल ।
3. बेटियां बोझ नहीं बल्कि वरदान । पीड़ित महिला को कहा जाना है इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराना ।
4. प्रभावी पंचायत बनाने के लिए ग्राम सभा सशक्तिकरण की पहल ।
5. चुनावी समस्त प्रक्रियाओं में महिलाओं की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित हो ।
6. महिलाएं निडर होकर, भयमुक्त होकर मतदान कर सके । मतदान केन्द्रों में भयमुक्त वातावरण बनाना ।

7.3 नवांकुर परियोजना द्वारा संचालित कार्यक्रम का परिचय – नवांकुर संस्था मानव जीवन विकास समिति द्वारा म.प्र. जन अभियान ब्लॉक बड़वारा जिला कटनी के सहयोग से वर्ष 2009-10 में चयनित प्रस्फुटन समितियों एवं स्पंदन समितियों के साथ प्रेरक के रूप में उनके क्षमतावर्द्धन का कार्य किया जा रहा है । 10 प्रस्फुटन गांव – 1. धनवारा, 2. भादावर, 3. झरेला, 4. भजिया, 5. धनवाही टोला, 6. इमलिया, 7. बसाड़ी, 8. बुजबुजा, 9. पोड़ी, 10. मझगवां में तथा इनके अन्तर्गत आने वाले 20 स्पंदन गांव के क्षमतावर्द्धन का कार्य किया गया ।

भूमिका – मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् द्वारा विकास खण्ड स्तरीय चयनित नवांकुर संस्था मानव जीवन विकास समिति ने जन अभियान परिषद् द्वारा गठित प्रस्फूटन समिति एवं स्पंदन गाँव में कार्यक्षमता वृद्धि एवं विकास हेतु निर्धारित नौ बिन्दुओं जैसे – 1. स्वास्थ्य, 2. शिक्षा, 3. पर्यावरण संरक्षण, 4. जल संरक्षण, 5. ऊर्जा संरक्षण, 6. नषामुक्ति, 7. समग्र स्वच्छता एवं साफ सफाई, 8. कुपोषण एवं परिवार नियोजन, 9. हरियाली एवं कृषि विषय पर प्रस्फूटन समिति एवं नवांकुर संस्था द्वारा प्रेरक के रूप में कार्य किया जा रहा है। समितियों के साथ बैठक कर समितियों के दस्तावेजीकरण, लेजर, कौष बुक, बैठक कार्यवाही रजिस्टर आदि संधारण का भी कार्य किया जाता है। शासन की योजनाओं का लाभ गांव की जनता तक सीधे पहुंचाना साथ ही पात्र हितग्राहियों को लाभ मिले इस प्रकार से प्रस्फूटन समितियों एवं नवांकुर संस्थाओं के द्वारा कार्य किया जा रहा है। प्रस्फूटन समितियों के द्वारा गांव में विभिन्न कार्यों की निगरानी की जाती है। और आंगनवाड़ी, स्कूलों आदि की निगरानी की जाती है। जनसूचना केन्द्रों के द्वारा सही समय पर ग्रामीणों को सही जानकारी दी जाती है।

आओ बनाये अपना मध्यप्रदेश, स्वर्णिम मध्यप्रदेश, के नौ बिन्दुओं पर चर्चा एवं विश्लेषण करना एवं सूचना केन्द्रों के दस्तावेजीकरण। समिति की बैठक कर कार्यों की जानकारी एवं गाँव में दिवाल लेखन तथा गतिविधियों आदि का आयोजन किया गया। स्वच्छता अभियान एवं पानी बचाओं अभियान चलाया गया। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल बसाड़ी में लगभग 55 बच्चों के साथ प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया। झरेला में समिति के सदस्यों के सहयोग से बेटे बचाओं के नारे के साथ गांव में प्रचार-प्रसार किया गया।

पिछले वर्ष की तरह इस साल भी भ्रूण हत्या रोकने जन-जागरूकता फैलाने के लिए रैली के माध्यम से नारों का उपयोग किया गया जैसे – 1. कोख में बेटे करे पुकार। जन्म लेना मेरा अधिकार।। 2. जांच का साधन अल्ट्रा सोनोग्राफी। जो दुरुपयोग से करे हत्या, उसको नहीं माफी।। 3. नर नारी संख्या में अन्तर। क्या होगा फिर देश के अन्दर।। 4. देश में गर बेटियाँ अपमानित हैं, नाषाद हैं। दिल पे रखकर हाथ कहिये, देश क्या आजाद है।।

लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994 बालिका भ्रूण हत्या कानूनन अपराध है। जबकि आज की बालिका कल की डाक्टर, वकील, शिक्षक, सरपंच बनती है। प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण, प्रसव पूर्व लिंग जांच और लिंग जांच के बाद कन्या गर्भ में हो तो गर्भपात कराना कानूनन जुर्म है। लिंग परीक्षण करने वाले चिकित्सक तथा महिलाओं को लिंग जांच के लिये बाध्य करने वाले परिवार के सदस्यों के लिए सजा व जुर्माने का प्रावधान है ऐसे चिकित्सकों का पंजीयन निलंबित तथा रद्द करने का प्रावधान है आदि जानकारीयों से गांव के लोगों को अवगत कराया गया।

1. धनवारा, 2. भादावर, 3. झरेला, 4. भजिया, 5. धनवाही टोला, 6. इमलिया, 7. बसाड़ी, 8. बुजबुजा, 9. मझगवां, 10. पोड़ी, – भ्रूण हत्या रोकने का कार्यक्रम चलाया गया जिसमें धनवारा में 21 मई 2013 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अर्चना तिवारी के मुख्य अतिथि एवं सहायिका यषोदा बाई के तथा गांव की अन्य जागरूक महिलाओं को साथ में बैठक कर भ्रूण हत्या संबंधी जानकारीयों प्रदान की गई एवं गांव में संदेश देने के लिए रैली निकालने को तय किया गया तत्पश्चात गांव में रैली निकालते हुए भ्रूण हत्या रोकने सम्बंधी नारे का भी गायन किया गया। गांव में चौराहे-चौराहे पर बेटे बचाओं, एवं महिला सषक्तकरण की भी जानकारीयों दी गई। तथा लाडली लक्ष्मी योजना के पात्र हितग्राहियों को सभी सहभागियों के द्वारा सम्मानित किया गया और यह भी कहा गया कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है एवं लड़का और लड़की में समानता आती है इसलिए आज से हम सभी दोनों को समानता की दृष्टि से देखना है भेदभाव नहीं करना है और दूसरों को भी प्रभावित करना है। यह शुभ संदेश गांव के हर व्यक्ति तक पहुंच जाना चाहिए ऐसा हम सभी का मानना है।

अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध दिवस पर जन जागरूकता अभियान

दिनांक – 31 मई 2014 अन्तर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस पर नवांकुर संस्था-मानव जीवन विकास समिति एवं प्रस्फूटन समितियों ने अपने सदस्यों सहित गांव गांव में नषा मुक्ति का संदेश दिया साथ ही नषा से होने वाली हानियों को भी बताया गया, इस कार्यक्रम को नारे एवं दिवाल लेखन के माध्यम से प्रचार



प्रसार किया गया। वर्ष 2009-10 में चयनित प्रस्फुटन समितियां धनवारा, इमलिया, झरेला, भजिया, भादावर, पोड़ी, मझगवां, बसाड़ी बुजबुजा, धनवाहीटोला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। नषा नही करना है तो यारो, प्रभू भक्ति का नषा करो। करो दीन दुखियों की सेवा, उनके दि लमे बसा करो।।

मन में दृढ़ संकल्प हो तो, ये दारू भी छूट जायेगी। जीवन में खुषिया भर देगी, और बहार ले आयेगी।। तन मन धन करते बरबाद। तम्बाकू, सिगरेट और शराब।।

दारू को पीना छोड़ो, परिवार से नाता जोड़ो। हमारा संकल्प नषा मुक्त मध्यप्रदेश।।

सोंचा नही था तकदीर यहाँ लायेगी। मंजिल से पहले ही जान चली जायेगी।।

शराब – जानलेवा

शराब जानलेवा है। इसके सेवन से निम्न रोग होते हैं – लीवर-यकृत का बढ़ जाना, पेटिक अल्सर, हिपेटाइटिस, विटामिन्स की कमी, पीलिया, कोमा-बेहोसी, सिरोसीस आफ लीवर, उच्च रक्त चाप, पेट में पानी का भरना, कुपोषण, परिवार का टूटना, हाथ-पाव का लड़खड़ाना भी शराब के सेवन के कुपरिणाम हैं।

पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम-

5 जून को पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सभी प्रस्फुटन समितियों के साथ बड़वारा सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवांकुर संस्था के सहयोग से महिला हिंसा के विरुद्ध अभियान के द्वारा हिंसा एवं बाल विवाह आदि की जानकारी दी गई एवं गाँव के लोगों को हिंसा न करने का संकल्प दिलाया गया। झरेला में नवांकुर संस्था एवं प्रस्फुटन समिति के द्वारा हरियाली पर्यावरण संरक्षण पर संगोष्ठी का कार्यक्रम राा गया जिसमें पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी गई एवं पोलिथीन का उपयोग न करने को कहा गया है। इस संगोष्ठी में लगभग 45 प्रतिभगी शामिल हुए एवं लाभवित हुए। भजिया में मानव अधिकार दिवस समिति के 7 सदस्यों एवं 23 अन्य गाँव के प्रतिभागीयों के साथ मनाया गया साथ ही लोक सेवा गारण्टी अधिनियम की जानकारी से अवगत कराया गया तथा उर्जा संरक्षण पर सभी सी0एफ0एल0 बल्ब लगाने को कहा गया क्योंकि सी0एफ0एल0 बल्ब 10 बाट का होता है इससे उर्जा बचत की जा सकती है।

धनवाहीटोला में मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में बैठक रखा गया जिसमें अधिकार एवं कानून की जानकारी दी गई इसी के साथ स्वस्थ विभाग से ए0एन0एम0 को बुलाया गया था जिसमें 5 कुपोषित बच्चों की पहचान कर एन0आर0सी0 में भर्ती करवाया गया। बुजबुजा में नवांकुर संस्था एम0जे0बी0एस0 प्रस्फुटन समिति एवं अन्य गाँव के प्रतिभागियों के साथ नशा मुक्ति अभियान पूरे गाँव में चलाया गया जिसमें 4 व्यक्ति शराब न पीने का संकल्प भी लिया है। धनवारा में मानव अधिकार दिवस पर उर्जा संरक्षण हेतु एक संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 33 महिला पुरुष भाग लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाया इसी के साथ समिति के सदस्यों द्वारा उर्जा बचत पर दिवाल लेखन भी किया गया।

इमलिया में स्कूल के लगभग 30 बच्चों के साथ बात विवाद प्रतियोगिता किया गया जिसमें उर्जा संरक्षण पर्यावरण संरक्षण विषय पर चर्चा किया गया है प्राप्त हुई। भादावर में साफ सफाई एवं स्वच्छता विषय को लेकर बैठक किया गया जिसमें हैण्डपम्प के आसपास 10 लोगों के साथ एवं गाँव के 8 लोगों के साथ साफ सफाई किया गया तथा गाँव में घूमघूमकर साफ सफाई के संबंध में जानकारी दी गई एवं दिवाल लेखन भी किया गया। मझगवां में प्रस्फुटन समिति के सचिव एवं सदस्यों के साथ बैठक किया गया जिसमें अध्यक्ष काम करने को तैयार नहीं है उसपर सुझाव एवं विचार किया गया तथा अन्य सभी सदस्यों ने काम करने को तैयार है तब नवांकुर संस्था के कार्यकर्ता द्वारा समझाईस दिया गया तथा आगे काम करने को कहा गया फिर गाँव के अन्य लोग भी मौजूद थे। जिसमें सभी को बायोगैस एवं गोबर गैस के संबंध में जानकारी दी गई। पोड़ी में प्रस्फुटन समिति एवं नवांकुर संस्था बैठक एवं चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से सभी को जैविक कृषि हेतु प्रेरित किया गया जिसमें 8-10 लोगों ने जैविक कृषि



करने हेतु तैयार हुए एवं यह भी बताया कि हमने दो साल से जैविक कृषि को अपनाया है जिसमें उपज में दोगुना वृद्धि हुई है ।

शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम – स्कूल चले हम अभियान कार्यक्रम

इमलिया में समिति के साथ बैठक कर तय करते हुए महिला हिंसा को लेकर बेटी बचाओं के संदेश दिया गया है। महिलाओं के अधिकार एवं 50 प्रतिशत आरक्षण की जागरूकता दी गई । धनवाही टोला में स्वास्थ्य संगोष्ठी कार्यक्रम से 40 लोग लाभित हुए । धनवारा के स्पंदन गाँव बजरवारा में कृषि कार्यक्रम 35 लोग लाभित हुए । बुजबुजा में गोबर गैस हेतु प्रेरित किया गया । पोड़ी में पर्यावरण संरक्षण पर जोर हेतु गाँव /मोहल्लों में संदेश दिया गया । भादावर में ऊर्जा बचत हेतु गाँव में घर घर सी0एफ0एल0 बल्ब लगायें हेतु प्रेरित किया गया । झरेला, भजिया, मझगावां, बसाड़ी में भी स्वच्छता मूलक योजनाओं की जानकारी दी गई ।



समिति के साथ बैठक कर कार्यक्रम को गति देने के लिए रूपरेखा बताया गया । गाँव के समिति से सदस्यों सहित रैली के माध्यम से जानकारी दी गई । घर घर सी0एफ0एल0 बल्ब होने का संदेश दिया गया ।

स्वच्छता कार्यक्रम –



2 अक्टूबर को पूरे भारत में प्रधानमंत्री जी के द्वारा गौंधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया । ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति सुडडी में समिति के सदस्यों के स्वच्छता मिशन के बारे में गाँव के लोगों को जानकारी दी गई, एवं बच्चों एवं शिक्षक के साथ मिलकर स्कूल के प्रांगण में सफाई की गई ।

2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2014 तक मध्य निषेध सप्ताह मनाया गया, जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा नषा मुक्ति के लिए लोगों को प्रेरित किया गया, एवं इससे मनुष्यों को क्या – क्या हानि होती ये भी चौपाल एवं संगोष्ठी के माध्यम से बताया गया ।

09.10.2014 को ग्राम विकास प्रस्फुटन ग्राम सुडडी में कृषि रथ का आगमन होगा, तो समिति के सदस्यों के द्वारा किसान भाइयों को इसकी जानकारी दी गई ताकि वे सब भारी संख्या में उपस्थित होकर वैज्ञानिक के द्वारा दी गई जानकारी का ज्यादा से फायदा उठा सकें ।

15.10.2014 को नवांकुर संस्था के द्वारा ग्राम भदौरा नं. 1 के माध्यमिक शाला में हाथ धुलाई दिवस में वीडियो रिकार्डिंग में सहयोग प्रदान किया गया ।

ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति भदौरा एवं नवांकुर संस्था के सहयोग समिति के सदस्यों द्वारा दीवाल लेखन एवं चौपाल के माध्यम से गाँव के लोगों को जानकारी दी गई । ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति भदौरा एवं नवांकुर संस्था के द्वारा 14 नवम्बर को स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमति बबिता सिंह जी एवं विषिष्ट अतिथि के रूप में श्री बालमुकुन्द मिश्रा जी भी उपस्थित रहे । इस कार्यक्रम के आयोजन में पूर्ण रूप से शास. माध्य. शाला भदौरा नं. 1 गुरुजनों एवं छात्र छात्रों का सहयोग मिला । कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों की रैली को श्रीमति बबिता सिंह झण्डी दिखाई । बच्चों की रैली को पूरे गाँव में घुमाया गया स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के नारे भी लगवाये गये लोगों को रैली के माध्यम से जागरूक किया गया । कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता नाटक नुक्कड़ के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया । एवं लोगों को षौचालय निर्माण के लिए प्रेरित किया गया ।



वृक्षारोपण कार्यक्रम – नवांकुर संस्था के द्वारा पेड लगाओ, जीवन बचाओ अभियान चलाया गया, एवं पेड लगवाये गये, साथ ही 25 किसानों को लगभग 500 पौधों का वितरण कर अपने घर में वृक्ष लगाने एवं संरक्षित रखने का संदेश दिया गया ।



नवांकुर संस्था एवं प्रस्फुटन समितियों के द्वारा पंचायतीराज के बारे में जानकारी गाँव वालों को दी गई, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संस्था एवं समितियों के द्वारा महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने एवं चुनाव में पूरी तरह से सहभागिता के लिए प्रेरित किया गया । इतना ही नहीं महिलाओं को पंचायत चुनाव में लड़ने एवं पूरी तरह से

सशक्त बनाने के लिए महिला सम्मेलन का आयोजन 29.12.2014 को किया गया । जिसमें महिलाओं ने बढ – चढकर हिस्सा लिया तथा चुनाव लड़ने एवं अपने मत का सही उपयोग करने का निष्चय किया ।

7.4 डाबर – मधुमक्खी – मानव जीवन विकास समिति एवं हाई-टेक नेचुरल प्रोडक्ट (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा नेशनल बी बोर्ड कृषि एवं सहकारी विभाग कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन मानव जीवन विकास समिति बिजौरी (मझगवां), जिला कटनी में 28 और 29 जनवरी 2014 को किया जा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय श्री अशोक कुमार सिंह, डिप्टी डायरेक्टर कृषि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, डायरेक्टर बागवानी विभाग से श्री एस. एम. पटेल, श्री निर्भय सिंह (सचिव MJVS), श्री एस0आर0 शर्मा (वैज्ञानिक के0वी0 के0), श्री प्रदीप मिश्रा (विपणन अधिकारी), श्री सभा बहादुर सिंह (वैज्ञानिक एवं प्रशिक्षक), श्री देवप्रकाश पाठक (प्रबंधन अधिकारी एवं प्रशिक्षक), श्री साधुराम शर्मा (प्रशिक्षक), श्री कुँवर पाल सिंह (प्रशिक्षक) की उपस्थिति में दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। कलेक्टर महोदय जी अपने उद्बोधन में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कहे हैं उसमें जो भी किसान की प्राथमिक खर्च आती है उसमें सहयोग देने को भी कहा गया है। मधु उत्पादन तथा बहुत सी फसलों में परागण करना मधुमक्खियों के दो मुख्य योगदान हैं। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर पर-परागण द्वारा फसलों की पैदावार व मधु उत्पादन बढ़ाकर किसानों व मधुमक्खी पालकों की आमदनी को बढ़ाना है।

मधुमक्खी बाक्स की उपलब्धता – 120

कटनी जिले के बड़वारा ब्लॉक के 5 गांव में किसानों को 99 बाक्स दिये गये जो कि बाक्स में मधुमक्खी शहद तैयार कर रही है। किसान निम्न गांव से किसान थे – बिलायतकलां, झांपी, कछारी, गझगवां, बिजौरी के किसानों को मधुपालन हेतु 331 किसानों को प्रशिक्षण देकर मधुमक्खियों के बाक्स उपलब्ध कराकर स्वरोजगार की ओर मोड़ा गया है। इसके अलावा संस्था में ही नर्सरी एवं आंवला के प्लॉट में 20 बाक्स रखे गये हैं जिस पर भी मधुमक्खी पाली गई है। इस प्रकार से कुल 119 बाक्स में मधुमक्खी तैयार है बाकी के 1 बाक्स अभी खाली रखे हुए हैं। खाली बाक्स में भी मधुमक्खी की व्यवस्था करने की तैयारी चल रही है ।

7.5 एन.सी.वी.टी. प्रशिक्षण – कौशल उन्नयन, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण (NCVT) श्रम मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त – ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें से कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण (फैशन डिजाईनिंग), बेसिक इलेक्ट्रिक, बेसिक ब्यूटि एण्ड हेयर ड्रेसिंग, टी-स्टाल वेन्डर, ड्राईवर कम्प्यून जैसे प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रशिक्षित होकर रोजगार को प्राप्त करते हैं।

सत्र 2014-15 में कम्प्यूटर प्रशिक्षण के दो बैच में 55 प्रशिक्षणार्थियों प्रशिक्षण प्राप्त किये, सिलाई प्रशिक्षण (फैशन डिजाईनिंग) के एक बैच में 20 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं, बेसिक ब्यूटी एण्ड हेयर ट्रेसिंग में 20 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है। अतः आगे भी सत्र संचालित है।

7.6 रूरल टूरिज्म प्रोग्राम – टूरिस्ट, गांव विकास

विलेज टूरिज्म (गरिमा परियोजना) – टूरिस्ट, गांव विकास (एक सामाजिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान)

वर्ष 2014-15 में 7 ग्रुप में 50 विजिटर ने भाग लिया है।

व्यापक उद्देश्य:— सामाजिक-सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आर्थिक सहायता के माध्यम से लोगों के गरीबी को दूर करना।

विषिष्ट उद्देश्य – आर्थिक सेवा लागत और ग्राम विकास निधि के रूप में ग्रामीणों को आर्थिक सहायता यात्रा लागत की कुल लागत का 8-10 प्रतिशत स्थानीय बाजार के उत्पादों, दोनों कृषि और आगंतुकों के साथ जोड़ने के द्वारा गैर-कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है।



➤ राजनीतिक सशक्तिकरण ग्रामीणों को जुटाने और ग्रामीणों के बीच के आयोजन की प्रक्रिया को एक आदर्श गाँव बनाने के लिए भी कार्य किया जा रहा है।

➤ सामाजिक और सांस्कृतिक सीखने और ग्रामीणों और आगंतुकों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की बातचीत चर्चा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की गतिविधियों के माध्यम से साझा करने के दो तरीके हैं ग्रामीणों और आगंतुकों को बेहतर समझ है और सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के क्रम में और मतभेद की स्वीकृति और सम्मान में वृद्धि कर सकते हैं।

7.8 प्रदर्शनी – तिल्दा, मुम्बई – में कपड़े एवं जड़ी बूटी का प्रदर्शनी तिल्दा एवं मुम्बई में आयोजित एकजवीषन में मानव जीवन विकास समिति द्वारा भाग लिया गया।



7.9 आपातकालीन सहायता – शैक्षणिक फण्ड, बीमारी सहायता

शैक्षणिक फण्ड सहायता – उड़ीसा, भोपाल और बिहार के 3 साथी को चाइल्ड एजुकेशन एवं सेल्फ एजुकेशन हेतु 20000/- की सहायता राशि दी गई।

बीमारी सहायता – श्योरपुर, ग्वालियर, बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा राज्य के 10 साथी को ट्रीटमेन्ट, एडवोकेसी, मैरिज के लिए 108000/- की सहायता राशि दी गई।

7.10 कृषि विकास – (सेंटर, सन्नई, चीलघाट)

प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन— प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन की दृष्टि से भूमि प्रबन्धन, जल प्रबन्धन, स्वच्छता एवं कचरा प्रबन्धन, वर्मी कम्पोस्ट, जैविक कृषि, नर्सरी, कम्पोस्टपिट, वृक्षारोपण, जड़ीबूटी संग्रह एवं संवर्धन तथा के कार्य किये गये।

भूमि प्रबन्धन — संस्था के पास 30 एकड़ भूमि है जो चारों ओर फेंसिंग तथा

1500 सागौन के पेड़ों से घिरी है। 27 एकड़ भूमि में निम्नानुसार व्यवस्था की गयी है :-

- 10 एकड़ भूमि में जैविक कृषि की जाती है, जिसमें फसलों के अनुसार गेहूँ, धान, कोदो, चना, जौ उगाया जाता है। सब्जियों में आलू, टमाटर, बैंगन, बरबटी, लौकी, प्याज, हल्दी, शलजम, गाजर, मूली, खीरा, पपीता तथा अन्य मौसमी सब्जियां उगायी जाती हैं।
- वर्मी कल्चर के लिए तीन पिट क्रमशः सिंगल पिट, डबल पिट तथा 4 पिट बनवाए गए हैं। ये पिट 12.2 तथा 2.5 फिट के अनुपात में हैं।
- नाडेप कम्पोस्ट के लिए 5,10,15 फिट के दो पिट बनवाए गये हैं।
- 2 चीकू, 15 जामुन, 20 सिल्वर ओक, 2 महुआ के पेड़ हैं।
- 5 एकड़ भूमि में सन् 2000 में अध्यक्ष राजगोपाल पी0 व्ही0 के प्रोत्साहन पर जनसहयोग से श्रमदान कर एक एकड़ में तालाब बनाया गया तथा 150 बांस के पौधे लगवाए गए, जिनकी संख्या आज बढ़कर 10,000 हो गई है। इसके अतिरिक्त नीम, पलाष, पीपल, बेर, कनेर, सागौन तथा मोजियन के पौधे लगाए हैं जो आज पूर्ण विकसित होकर लहलहा रहे हैं।

स्वच्छता एवं कचरा प्रबन्धन :-



गाँधी जी के दैनिक कार्यक्रमों में सफाई अति आवश्यक कार्य था। उन्हीं आदर्शों का पालन करते हुए संस्था गाँवों में पिविर का आयोजन कर सफाई प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। कचरा तथा गोबर गड्ढों में डलवाकर सफाई तथा खाद बनाने की प्रक्रिया समझाई जाती है। कचरे का प्रबन्धन आज विश्व के सभी देशों में एक बड़ी समस्या है। संस्था अपने क्षेत्र के सभी गाँवों में प्रतिवर्ष सफाई अभियान चलाते हैं।

- संस्था अपने कार्यक्षेत्र के गाँवों में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में सफाई तथा कचरा प्रबन्धन प्रशिक्षण का आयोजन करती है।
- कचरे के प्रबन्धन के लिए लोगों को नाडेप पिट बनाकर उसमें कचरा डालने के लिए समझाया जाता है।

जैविक कृषि को बढ़ावा देना — जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से बताया जाता है कि आपको जैविक खाद का प्रयोग करना है जिससे देखा जाता है कि शासकीय खाद के प्रयोग से कहीं ज्यादा उपज जैविक खाद के प्रयोग से होती है। आपको कम्पोस्ट एवं वर्मी कम्पोस्ट का खाद आसान तरीके से प्राप्त हो जायेगी जिसके माध्यम से आप अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको प्रशिक्षण से जाते ही जैविक कृषि को अपनाना है।



- **सिझौरा**— जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिये कम्पोस्टपिट बनाया गया तथा वृक्षारोपण के लिये पौधों की नर्सरी तैयार की गई।
- **बिजौरी**— संस्था के केन्द्र स्थल पर जैविक कृषि के अन्तर्गत धान और गेहूँ की खेती की गई। इसके अतिरिक्त अरबी, लौकी, आलू, प्याज, अदरक, मिर्च तथा हल्दी लगाई गई जिनका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके अलावा वर्मीकम्पोस्ट, कम्पोस्ट, नर्सरी, वृक्षारोपण किया गया।

फसल उत्पादन विवरण

क्रं.	फसल	बीज	उत्पादन
1	धान	3 क्वि. 20 किलो	67 क्वि.
2	गेहूँ	7 क्वि.	22 क्वि. 63 किलो

3	सरसों	2 किलो	1 क्वि.
4	बटरी	6 किलो	1 क्वि. 40 किलो
5	चना	8 किलो	80 किलो
6	जबा	50 किलो	2 क्वि. 44 किलो
7	मिर्ची	5 ग्राम	15 किलो
8	हल्दी	5 किलो	35 किलो
9	गिलकी	50 ग्राम	42 किलो
10	बरबटी	100 ग्रा.	46 किलो
11	भिण्डी	250 ग्राम	50 किलो

वृक्षारोपण — वृक्षारोपण की दृष्टि से सागौन, खम्हेर, कटंगा बांस, ग्लिरीसीडिया, करंज, आवला, आम, कटहल, काजू, नींबू, स्वर्णलता, अमरूद, अर्जुन, केसिया सेमिया, बकायन, कचनार, मीठी नीम, नीम, पपीता, जामुन इत्यादि पौधे लगाये गये जो निम्नानुसार है –

क्रं.	प्रजाति	संख्या	क्रं.	प्रजाति	संख्या
1.	सागौन	20	15	अकेसिया सेमिया	5
2	खम्हेर	115	16	कचनार	10
3	कटंगा बांस	150	17	मीठी नीम	25
4	ग्लिरीसीडिया	50	18	नीम	10
5	करंज	200	19	बकायन नीम	15
6	आंवला	50	20	पपीता	10
7	आम	65	21	जामुन	10
8	कटहल	5	22	सहतूत	15
9	काजू	1	23	गुलमोहर	25
10	नींबू	10	24	बबूल	25
11	स्वर्णलता (कोटन)	15	25	जामुन	10
12	अमरूद	10	26	लिपटस	15
13	अर्जुन	25	27	शीषम	1
14	अंजीर	10	28	गुलाब	15
कुल 28 प्रजाति के 917 पौधों का रोपण किया गया					

जड़ी बूटी संग्रह एवं संवर्धन

क्रं.	प्रजाति	संख्या	क्रं.	प्रजाति	संख्या	क्रं.	प्रजाति	संख्या
1	सफेद मूसली	10	21	काटन प्लांट	1	41	धतूरा	1
2	काली मूसली	10	22	बकायन	2	42	गुगुल	1
3	अश्वगंधा	5	23	कालेश्वर	3	43	चमेली	3
4	हरजोड़	15	24	चित्रक	3	44	दमनक	1

5	सर्पगंधा	2	25	गुंजा सफेद	1	45	बज्रकंद	25
6	गुणमार	5	26	गुंजा लाल	15	46	अंजीर	5
7	चक्रमर्द	15	27	गुलवकावली	15	47	मिनी आंवला	2
8	ध्रतकुमारी	250	28	शंखपुष्पी	100	48	नीलगिरि	60
9	पारस पीपर	2	29	आंवला	150	49	जासून	25
10	शीकाकाई	10	30	बहेड़ा	150	50	करबीर	10
11	अनार	2	31	हड़र	5	51	धाय	2
12	पारीजात	1	32	पपीता	50	52	नागवला	5
13	रामकंद	25	33	कालमेघ	10	53	वला	5
14	लाजवंती	15	34	अडूसा (वासा)	10	54	लेमनग्रास	150
15	लेड़ी पीपर	10	35	नीम	5	55	पलास	15
16	सुदर्शन	10	36	सतावर	1	56	आक	3
17	केशव कंद	10	37	सेमलकंद	4	57	स्वर्ण भूषण	5
18	करंज	100	38	निर्गुंडी	5	58	कलिहारी	5
19	बेल	47545	39	निषोध	5693	59	षिवनाक	10165
20	सूर्यमुखी	5000	40	भुई आंवला	डेढ़ एकड मे	60	नाईजन	1 किलो
टोटल – 60 प्रजाति की 69754 पौधे रोपित किये गये								

दुर्लभ जड़ीबूटी कलिहारी जिसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उपयोग यदि कील या धातु जैसे सुई पैर में चुभ जाता है तो कलिहारी कन्द को घिसकर लगा देने से कील या सुई बाहर निकल आती है एवं दर्द दूर हो जाता है तथा सुखपूर्वक प्रसव होने में भी सहायक होता है।

7.11 चीलघाट- किसानों को सिंचाई सुविधा के लिये 2 मोटर पम्प पाइप के साथ दिये गये तथा 50 एकड़ भूमि की मेढ़बन्दी करवाई गई जिसके कारण कृषि उत्पादन में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई। किसान बेहतर तरीके से जैविक खेती करने में समर्थ है। जमीन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है लोगों का आर्थिक विकास हुआ है।

7.12 सन्नई - सिंचाई तथा पेय जल के लिये निर्माणाधीन कुएं का खनन कार्य पूरा किया गया जिसकी सहायता से वहां के लोग दो फसली खेती करने में समर्थ हुए। लोगों का विकास ही नहीं बल्कि जमीन की उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

8. – अन्य गतिविधियां :-

8.1 – इकोनॉमिक गतिविधियां – आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में हाथ से कपड़ा बनाने का काम किया जा रहा है। इससे लोगों को उद्योगों से जोड़ा गया तथा बाजार उपलब्ध कराया गया जिससे बनाये जा रहे कपड़ा आसानी से बेचा जा सके। मानव जीवन विकास समिति ने विगत वर्षों से लोगों को आजीविका से जोड़ने



का प्रयास कर रही है । लोगों को घर पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास संस्था द्वारा किया जा रहा है।

8.2 – परस्पर सहयोग समूह एवं स्वसहायता समूह की जानकारी :- कार्यक्षेत्र के गांव –

राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर। उमरिया के मरईकलां, गोबराताल। रायसेन के रेहती, धुबघटा। उत्तराखण्ड के किम्मु, कलपटा, गोविना, कनषेड, हरकोट तरसल गांव है।

स्वसहायता समूह की जानकारी –

राजस्थान में लीला धेरोधा विलेज ग्रुप, मरईकलां में एकता महिला समूह, प्रतिमा समूह। रायसेन में सफलता समूह रेहाती। उत्तराखण्ड में कलपटा विलेज ग्रुप।

इस प्रकार से 5 समूहों के बैंक में खाते खुलवाये गये खाते में समूह के 329646/- की राशि व्यवस्थित है। परियोजना क्षेत्र के ग्रामों में समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण के तहत संगठनात्मक गतिविधि के साथ परस्पर सहयोग समूह एवं स्वसहायता समूह का गठन कर बचत और बैंको से जोड़कर सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही ग्राम स्तर पर साहूकारों से मुक्ति मिली है। समूह के सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों को भी आसानी से ऋण प्राप्त करने में सुविधा हो रही है।

रचनात्मक कार्य – स्व-सहायता समूहों के माध्यम से संस्था ने रचनात्मक कार्यों द्वारा लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने का प्रयास किया तथा कृषि में सहायता कर खाद्यान्न सुरक्षा बढ़ाने में सहयोग किया। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से दोना पत्तल बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे समूहों द्वारा जंगल से पत्तों की व्यवस्था कर मषीन से आसानी से दोना और पत्तल का निर्माण किया जा रहा है जिससे बहुतों की आजीविका इसी से चल रहा है।

8.3 आर्थिक कार्यक्रम – मानव जीवन विकास समिति मुख्य रूप से महाकौषल क्षेत्र के कटनी, डिण्डौरी, मण्डला, बालाघाट, सघन रूप से उमरिया एवं रायसेन में आंशिक कार्यरत है । समिति अपने 22 फिल्ड स्टाफ के साथ 230 गावों में काम कर रही है । वर्तमान समय में भूमि अधिकार एवं पंचायतीराज के साथ-साथ विलेज टूरिज्म आदि प्रोग्रामों के साथ काम को आगे बढ़ाने में लगी है । गाँव चले अभियान के पहले या बाद में किये जा रहे कार्यों पर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने व नए कार्यों के संचालन के लिए तत्पर है, समिति के फिल्ड में प्रमुख रूप से निम्न प्रकार से कार्य किये जा रहे हैं –

भूमि अधिकार–

वनभूमि – समिति के सम्पूर्ण गावों में वन अधिकार अधिनियम के तहत 130 गावों के 1455 लोगों को 2610 एकड़ जमीन का पट्टा प्राप्त हुआ जो आज के बाजार मूल्य पर यदि 50 हजार रुपये प्रति एकड़ आँकते हैं तो 13,05,000,00 का मालिकाना हक सीधे उन आदिवासी परिवारों को मिला जो लम्बे समय से भूमिहीन की श्रेणी में आते थे । सिर्फ इसी कार्य में लगे कार्यकर्ताओं पर जो व्यय किया गया पिछले 10 वर्षों में तो 22 कार्यकर्ताओं पर 3000 रु. प्रतिमाह भी आँकते हैं तो 120 माह में 7,9,20,000 स्कालरशिप में व उनकी क्षमता वृद्धि पर लगाये तो इन्हीं कार्यकर्ताओं की संख्या पर 20 हजार रु. प्रति कार्यकर्ता व्यय

किये तो 4,40,000 व्यय होता है । कुल 83,60,000 रू. व्यय हुए इस ऑकड़ें में 6.40 प्रतिशत ही खर्च हुआ कुल इनकम में उत्पादन को भी जोड़े तो 2610 एकड़ में कृषि उत्पादन कई हजारों किंटल में आता है यदि एक एकड़ का उत्पादन 5 किंटल भी होता है तो 2610 एकड़ जमीन में 13050 किंटल एक फसल पर दोनों सीजनों का 26100 किंटल अनाज का उत्पादन जो वर्तमान बाजार भाव में यदि 800 रू. प्रति किंटल भी आके तो 2,08,80,00 रू. की वार्षिक आमदनी की स्थायी रूप से आना प्रारम्भ हुई । इसके अलावा इन गावों में पलायन की स्थिति कम हुई 8 माह से 10-11 की खाद्य सुरक्षा में बढ़ोत्तरी हुई, आत्मसम्मान बढ़ा, सुपोषण व शिक्षा के स्तर में सुधार ये है सामाजिक मुद्दों पर हक करने की संभावना राजनैतिक रूप से ग्रामसभाओं में भागीदारी से ही इतने लोगों को वन अधिकार के पट्टे दिलाने में सफलता मिली है ।

राजस्व भूमि – राजस्व भूमि की ओर एक नजर से देखे तो यह तो खेती करने लायक जमीन नहीं क्यों की इसका रकवा डिसमिल में दिया गया है । 331 लोगों में यह जमीन का ऑकड़ा 65 एकड़ होता वनभूमि के वनिस्पत इस जमीन की कीमत ज्यादा हो सकती है क्योंकि यह घर आवास की जमीन है । यदि भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भी मूल्यांकन करेंगे तो 1 लाख रुपये प्रति एकड़ भी आके तो 65 लाख रुपये की होती है, जमीन न बाजार भाव निकालने के लिए न बेचने के लिए परन्तु अपनी संतुष्टि के लिए यह रिकार्ड तैयार किया गया है, परन्तु इसके अलावा भी कई उपलब्धियाँ है जो देखी नहीं जा सकती सिर्फ महसूस करें अहसास कराये । जिससे आवास का पट्टा मिलना एक सामाजिक सम्मान है । अपना घर है अपने तरीके से सजाने सँवारने की तमन्ना आ जाती है इन सबसे ऊपर स्थायीपन ।

सामुदायिक पट्टा— उक्त चार जिलों में से अभी तक जानकारी के अनुसार डिण्डौरी जिले में ही सिर्फ सामुदायिक पट्टा प्राप्त हुआ जो 8 गाँव के 1550 एकड़ जमीन का सामुदायिक अधिकार दिलाकर गाँवों को स्वाबलम्बी बनाने की पहल की जा सकी है जो अपने में एक बड़ी सफलता है ।

निर्भय सिंह

सचिव

मानव जीवन विकास समिति

संकलन – रामकिशोर रैदास